मुम्बई : सुशासन पर संगोष्ठी. 5
भोपाल गैस त्रासदी................. 12

लेख

सबसे बड़ी न्यायिक त्रासदी
राजीव सचान.............. 15
कांग्रेस की अपभ्रष्ट राजनीति
अरुण जेटली............... 19
बेकाबू नक्सली और बौनी सरकार
शांता कुमार.................. 21
पश्चिम बंगाल में परिवर्तन
बलबीर पुंज.................. 23
राष्ट्रनायक डा. मुखर्जी
केदार नाथ साहनी....... 25
आपातकाल : काला अध्याय
के.के. शर्मा.................... 28

अन्य

वायदा व्यापार बन्द हो......... 10
यूपीए–2 का एक वर्ष.......... 17

सम्पादक
çHkkr >k] lkaln
सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kekZ
lathc dqekj flUgk
पृष्ठ संयोजन
/keZsUæ dkS'ky
fodkl lSuh

सम्पर्क
Mk- eqdthZ Lef`r U;kl
ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl % +91¼11½&23387887
lnL;rk gsrq % +91¼11½&23005700

सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

{ ''गुणाः सर्वत्र पुज्यन्ते।''
गुणों की सर्वत्र पूजा होती है }

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

lEikndh;

जनता को सुशासन देना भाजपा की प्राथमिकता

सार्वजनिक जीवन में कार्यशैली, विचारशैली एवं जीवनशैली का महत्व होता है। यह त्रिवेणी जैसा संगम है। जब जीवन में परिश्रम और पराक्रम दिखाने का अवसर मिलता है तो व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यह ईश्वरीय मौका है। एक कुशल कार्यकर्ता में योग्यता, उपयोगिता और ग्राह्यता का होना जरूरी है। आप उपयोगी नहीं है तो संगठन में नहीं चल सकते। सवाल उठता है कि हम राजनीति में क्यों आए हैं? आए हैं तो क्या करने? स्थिति इतनी भयावह है कि लोग पार्टी की विचारधारा 'पंचनिष्ठा' में नहीं 'पदलिप्सा' में विश्वास करने लगे हैं। पदलिप्सा का शिखर इतना ऊंचा हो गया है कि राजनीति अबला होती जा रही है। अब समझ में आता है कि भारतीय राजनीति इतनी कमजोर क्यों हो रही है? जो योग्य नहीं है वह चापलूसी से योग्य बन रहा है। जो उपयोगी नहीं है उसे अपने लिए उपयोगी बनाया जा रहा है। जिसकी ग्राह्यता नहीं उसको जबरिया ग्राह्य बनाने का एक नया फैशन चल पड़ा है। दुर्बल राजनीतिज्ञ की यही आंतरिक कहानी है। 'जो मैं हूं नहीं वह दिखना चाहता हूं' इसके कारण होता यह है कि उसके पास जो कुछ होता भी है वह भी उसके पास नहीं बचता। असली बनकर जीना नहीं चाहते और नकलीपन को इतना अंगीकार कर लेते हैं कि असली पूंजी भी चली जाती है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने इस दौर से पार्टी को निकालने का प्रयत्न प्रारम्भ किया है। राईट च्वाईस एंड राईट प्लेस फोर राईट पर्सन। और इसकी शुरूआत उन्होंने भाजपाशासित राज्यों से शुरू की है। मुम्बई स्थित स्वर्गीय रामभाऊ म्हालगी प्रबोधनी परिसर में 'गुड गवर्नेंस' विषय पर आयोजित दो दिन की कार्यशाला में छह भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा समर्थित गठबंधन राज्य के उपमुख्यमंत्री, 67 मंत्री, संगठन के केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तर के 20 पदाधिकारी उपस्थित रहे। अपने उद्घाटन भाषण में श्री नितिन गडकरी ने मन की बात रखी। वो सिर्फ उनके मन बात नहीं थी। समाज में राजनीति, राजनीतिक दल, तथा आज जो अनाचार पैदा हो रहा है उस वेदना से युक्त बातें कहीं जा सकती हैं। पहले राजनीति में दिया जाता था, अब सबकुछ राजनीति से लेने की जो प्रक्रिया पैदा हुई है उससे वह आहत दिखे। उनका कहना है कि हम दबाव और प्रभाव की राजनीति नहीं करते। हम मन से काम करते हैं। मैं कार्यकर्ता नहीं तो अध्यक्ष किस बात का, मैं
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

मुख्यमंत्री किस बात का, मंत्री किस बात का? कार्यकर्ताओं पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है क्योंकि वे समाज में भाजपा का चेहरा बन चुके हैं। पद नहीं होने पर भी ऐसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं उन सभी चेहरों को प्रणाम करता हूं जो आचरण एवं व्यवहार से समाज का मन जीतते हैं। उन चेहरों के पीछे पार्टी के विस्तार की सम्भावना छिपी होती है।

इस दो दिवसीय कार्यशाला में बीज भाषण देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारा अपना जीवन साफ है तो हमारा रास्ता कोई रोक नहीं सकता। हम अपने लक्षणों से प्रभावी और अप्रभावी बनते हैं। उन्होंने कहा कि अदम्य जिजीविषा और संवेदना के साथ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना है। जनता तब मुस्कुराएगी जब योजनाएं जमीन पर साकार होगीं। यह तब होगा जब उससे संबंधित व्यक्ति अपने रक्त से उन योजनाओं को सिंचित करेगा। हम राजनीति में समाज सेवा के लिए आए हैं। विकास की किरणें हर घर तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने अनेक उदाहरण देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार गुजरात में अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि दूध देने वाली गाय की लात लोग खाने को तैयार रहते हैं, बशर्ते वह गाय दूध दे। आज की गाय सिर्फ चारा खा रही है, और दूध नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हम कैसा भारत चाहते हैं? इसके उपकरण कौन होंगे? हम और आप उपकरण हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अब तक चार तरह के शासन देखे। पहला, नेहरूवादी कांग्रेस शासन, दूसरा, साम्यवादी शासन, तीसरा, गठबंधन शासन और चौथा, भाजपा शासन। चारों के कार्यकाल की तुलना करें तो स्पष्ट हो जाता है कि देश को भाजपा ने सर्वश्रेष्ठ एवं संवेदनशील सरकारें दी हैं। आखिर एनडीटीवी ने भी अपने एक सर्वे में भाजपा के मुख्यमंत्रियों को पहला और दूसरा स्थान दिया है। श्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अधिकारियों के तबादला करने के पचड़े से बचना चाहिए। क्या वे अधिकारी कहीं और जाकर अच्छा काम करने लगेंगे। सवारी करना नहीं आता तो दोष दूसरों को क्यों दें? उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करते हुए, अखण्ड भाव से मातृभूमि की सेवा करना है।

वहीं सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में चल रहे अनूठी योजनाओं का वर्णन किया। संगठन और सरकार के बीच समन्वय पर अच्छी चर्चा हुई। सभी ने माना कि संगठन ही सरकार की जननी है। अतः संगठन सर्वोपरि है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल ने संगठन और सरकार को लेकर अपने गत दो वर्षों के अनुभवों को रखा। समापन सत्र में लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रियों को सार्वजनिक जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान से अवगत कराया। उन्होंने कुछ छुए एवं अनछुए पहलूओं का जिक्र करते हुए सबका मार्गदर्शन किया और कहा कि मानवीय संवेदना के बिना हम राजनीति नहीं कर सकते। हमारी सक्रियता दूसरों को अच्छी लगनी चाहिए। राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार ने खुले रूप से जनता और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को सबके सामने प्रस्तुत किया। शासन में प्रशासन कैसे चलाना, किन बातों पर ध्यान रखने से शासन जनप्रिय होता है, ऐसे अनेक गुणों पर उन्होंने प्रकाश डाला।

इस कार्यशाला की सबसे बड़ी बात रही कि गोवा में भाजपानीत सरकार के सफलतम मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर पर्रिकर, जो सुशासन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, ने अपनी सारी मर्यादाओं से मुक्त होकर अतिथि प्रतिनिधियों की चिंता की। वे 'अतिथिदेवो भव' को साक्षात साकार करते हुए सबके लिए अच्छी व्यवस्था हेतु तत्पर रहे। आईआईटी और विदेश में पढ़े पर्रिकरजी के जीवन से कार्यकर्ता शैली तनिक भी दूर नहीं है, इसकी सब चर्चा कर रहे थे। सुशासन कार्यशाला एक अद्‌भुत प्रयोग रहा। यह उल्लासमय वातावरण में सम्पन्न हुआ। इसकी सर्वत्र सराहना हुई। मुक्त चिंतन सत्र में सभी की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। निश्चित रूप से इस कार्यशाला से पार्टी नेता और अधिक स्वाध्याय की ओर उन्मुख होंगे। संगठन और सरकार, दोनों के बीच सीखने–सिखाने का यह प्रयोग पार्टी के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। यह कार्यशाला एक शुरुआत है। इसमें त्रुटियां हो सकती हैं परन्तु यह निरंतरता जारी रहे। निरंतरता परिमार्जन की प्रारम्भिक प्रक्रिया है। एक बात तो सबने ठानी कि 'गुड गवर्नेंस' से 'बेटर गवर्नेंस' और फिर 'एक्सीलेंट गवर्नेंस' की ओर जाना है। इस कार्यशाला में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रीगण सर्वश्री थावरचंद गहलोत, रविशंकर प्रसाद, धर्मेन्द्र प्रधान, जेपी नड्डा आदि वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यशाला को आयोजित करने में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री विनय सहस्रबुद्धे, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमय्या एवं राष्ट्रीय सचिव श्री भूपेन्द्र यादव की भूमिका उल्लेखनीय रही। ऐसी सुशासन कार्यशाला से निश्चित ही शुचिता, संकल्प एवं स्थायित्व प्रबल होगा। ■

भाजपा का 'सुशासन' पर मंत्री-स्तरीय सम्मेलन

भारतीय जनता पार्टी 5–6 जून, 2010 को मुंबई में सुशासन पर एक राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित हुई। 'सुराज–संकल्प' के रूप में नामित इस सम्मेलन में कल्याण तथा विकास संबंधी कुछ उल्लेखनीय और अभिनव पहलों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही सम्मेलन में पार्टी घोषणा पत्र, पार्टी संगठन तथा सरकार के बीच समन्वय और पार्टी समर्थन को जीवंत बनाए जाने पर गहराई से विचार किया गया। मुंबई के निकट भयंदर में रामभाऊ म्हालगी प्रबोधनी के नॉलिज–एक्सिलेंस सेंटर में आयोजित यह कन्वेंशन भारत में किसी राजनीतिक दल द्वारा शुरू की गई पहली कन्वेंशन थी। इस कन्वेंशन में भाजपा के सभी मुख्यमंत्री तथा उप–मुख्यमंत्री और भाजपा तथा भाजपा गठबंधन की सरकारों के सभी संबंधित मंत्रीगणों ने भाग लिया। साथ ही, भाजपा शासित प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष और संगठन सचिव भी कन्वेंशन में उपस्थित हुए।

भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने इस कन्वेंशन का उद्‌घाटन किया जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य वक्तव्य दिया। इस कन्वेंशन में विभिन्न राज्य सरकारों ने कल्याण और विकास की अभिनव पहलों की प्रस्तुति भी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने शासक दल – प्रतिपक्षी दल के बीच अंतर्संबंध पर भाषण दिया। पार्टी संगठन के बीच संबंधों पर एक पेनल चर्चा हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेतागण – यथा महासचिव श्री जगत प्रकाश नड्डा तथा अखिल भारतीय सचिव श्री भूपेंद्र यादव, नवगठित गवर्नेंस सेल के संयोजक श्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में एक टीम और श्रीमती निर्मला सीतारमण, विनय सहस्रबुद्धे ने भी इस कन्वेंशन को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

सतत् विकास के लिए सुशासन जरूरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा दिया गया उद्‌घाटन भाषण

आदरणीय प्रतिनिधि,

मैं आपका ध्यान सर्वाधिक महत्व के उस कार्य की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी रूपरेखा इंदौर में 18 फरवरी, 2010 को आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में दिए गए मेरे अध्यक्षीय भाषण में दी गई थी। मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं को वचन दिया था कि केन्द्र तथा राज्यों में हमारी सरकारों के अनुभव के आधार पर हम विकास तथा शासन के एक वैकल्पिक मॉडल को प्रस्तुत, प्रचारित और कार्यान्वित करना चाहेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रयोजन के लिए हम चार महीने के कम समय में इस विषय पर बैठक कर रहे हैं। अगले दो दिन तक हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक निश्चित समय सीमा के अंदर सुराज के काफी समय से संजोये हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रस्तुत करेंगे।

इस कन्वेंशन की प्रस्तावना पत्र में लोकतंत्रीय राज–व्यवस्था के प्रति भाजपा की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया

गया है। सुस्पष्ट है कि मात्र संसदीय लोकतंत्र सुशासन को सुनिश्चित नहीं करता है। हमें इसका सुलभ हुई श्रेष्ठतम प्रणाली के रूप में और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसा हम राजनीतिक के अर्थ को पुनर्भाषित करने का संकल्प करके, इसके साथ वैयक्तिक तथा सामूहिक और साथ ही एक राष्ट्रीय दल के रूप में जुडाव को मजबूत करके कर सकते हैं। मुझे आशा है कि हम अगले दो दिनों में अलग–अलग पूर्ण सत्रों के दौरान बेहतर शासन हेतु नीतियों पर चर्चा करेंगे और विभिन्न दृष्टियों, जैसे अधिकारीतंत्र, पुलिस, उत्तरदायी शासन, केन्द्रीय तथा प्रांतीय सुरक्षा बल, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य कृषि और खाद्य, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण और वन, जल प्रबंधन, ऊर्जा और गैर–पारंपरिक स्रोत, लोकतंत्र, मानव अधिकार, जन–भागीदारी, विधानमंडल, विकेन्द्रीकरण, सामाजिक न्याय, जन–जातीय कल्याण, महिला तथा बाल कल्याण, शिक्षा और रोजगार, विश्वविद्यालय और गैर–सरकारी संस्थान आदि विषयों पर सुशासन हेतु विचार करेंगे। हम पंचायत स्तर और अन्य स्थानीय निकायों जैसे जिला परिषदों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों के स्तर पर भी सुशासन हेतु विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। सर्वसम्मति की प्रक्रिया, जो सुशासन को प्रमुख रूप से परिभाषित करने वाला तत्व है इसको भी निर्णय करने की प्रक्रिया में एक प्रभावी सहायक तत्व माना जाना चाहिए।

हमारे भारतीय दर्शन में धर्म सुशासन का आधार है, जो इसको वर्तमान भौतिकवादी मूल्यों के प्रति मोह से विभेदित कर देता है।

सुशासन की कसौटी लोगों के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की संवृद्धि होती है। सुशासन प्रक्रिया, लोकहित के मुद्दों को सुलझाने के लिए समाज के आर्थिक तथा सामाजिक संसाधनों को जनहित हेतु प्रयोग में लाने का तरीका है। यूनानी दार्शनिकों ने उस प्रक्रिया का विवेचन किया था, जिसके माध्यम से समाजों को सुजीवन प्राप्त करने के लिए सुगठित किया जा सकता है।

प्राचीन भारतीय विद्वानों के अनुसार सुशासन आनंद के आदर्श को प्राप्त करने के लिए और प्रशासन में संकट पर विजय पाने के लिए एक व्यापक तथा अंतिम समाधान होता है। दक्षिण भारत में लोकतंत्र का उत्तरमेरूर मॉडल, जो 100 ईसवी से काफी पहले प्रचलन में था, भली प्रकार अभिलेखबद्ध है।

ग्रामसभा की दीवारों पर लोक निर्माण या न्यायिक मामलों पर द्वारा अपनाये गए विनियम खुदे हुए थे। लोकप्रतिनिधियों के चुनाव/चयन तथा निर्योग्यता हेतु मानदंड सुस्पष्ट रूप में अभिकथित किए गए थे। रिश्वत स्वीकार

वर्तमान भारतीय संदर्भ में सतत् विकास और लोगों के कल्याण को बढ़ाने हेतु सुशासन अति आवश्यक है। जहां संभव हो वहां हमें ई–गवर्नेंस पर बल देना चाहिए क्योंकि इससे पक्षपात समाप्त होगा तथा कार्यदक्षता में वृद्धि होगी।

सुराज संकल्प पर प्रस्ताव

6 जून को मुम्बई में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की समाप्ति पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित कर भाजपा शासित राज्यों में ''सुराज संकल्प सक्रियता और जन–हितकारी सुशासन'' पर विशेष बल दिया।

सम्मेलन की समाप्ति पर सुराज संकल्प सम्बंधी एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में विस्तार से कानून–व्यवस्था, सहभागी लोकतंत्र, द्वंद्व रहित आम सहमति, संस्थागत सुधार, जवाबदेही ही और पारदर्शिता पर बल दिया।

प्रस्ताव के अनुसार-

भाजपा प्रतिबद्ध है कि वह विशिष्ट प्रकार के सुराज संकल्प से बंधी है जो सभी वर्गों और समाज के स्तरों के प्रति संवेदनशील हो जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं। हमारा ऐसा सुराज संकल्प रहेगा जो महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से सम्पन्न करेगा।

प्रस्ताव में आगे कहा है– ''भाजपा सक्षम, समृद्धिशाली और शक्तिशाली भारत बनाने का प्रयास करेगी जो सचमुच भारत को महान शक्ति बनाने की आकांक्षा को पूरी करेगा, यह एक ऐसा देश होगा जिसमें सभी समृद्ध और वैभवशाली होंगे। एकात्म मानववाद के दर्शन पर चलते हुए हमारा यह सुराज संकल्प उत्कृष्ट सुशासन की गारंटी की प्रतिपूर्ति करेगा।

करना, अन्य की संपत्ति का दुरूपयोग करना, ऐसे गंभीर प्रावधान थे, जो प्रतिनिधियों को निर्योग्य बनाते थे।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य, जो आज राष्ट्रों का सभी लोगों के लिए अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए दिशाबोध करता है, ऐसा लक्ष्य है जो अधिकांश देश समय–सीमा के अंदर प्राप्त करने की आशा करते हैं। सुशासन ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून का सुशासन के लिए उपयोग होता है।

निर्णय करने की सारी प्रक्रिया में तथा किए गए निर्णयों को लागू करने की पारदर्शिता मौजूद रहती है। साधन एवं साध्य परिणाम दोनों का शब्द के प्रत्येक भाव में स्पष्ट रूप में समावेश रहना चाहिए।

कुछ विशेषज्ञों ने शासन प्रक्रिया को देश के संसाधनों के मामलों को प्रबंधित करने के लिए शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग करना बताया है– चाहे वह शक्ति राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक या अन्य किसी प्रकार की हो। इसमें ऐसे प्रक्रियातंत्र, कार्यविधियां, और संस्थाएं समाविष्ट है, जिनके द्वारा नागरिक और उनके समूह अपने हित साधते हैं, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपनी बाध्यताओं की पुष्ट करते हैं और अपने मतभेदों में मध्यस्था करते हैं। सुशासन का अभिप्राय देश के संसाधनों और मामलों का उस तरीके से सक्षम प्रबंधन किया जाना है, जो पारदर्शी, उत्तरदायी, समतापूर्ण, सहभागी और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति रखने वाला हो। यहां यह स्मरण करने योग्य है और हमारा दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन केवल तभी किया जा सकता है, जब हमारे समाज के सभी वर्ग जागरूक हों। निर्माण की इस प्रक्रिया में, एक भली प्रकार जागरूक समाज, सरकार की बड़ी भूमिका होती है।

''कालो वा कारणं राज्ञः राजा वा कालकारणम्।
इति ते संशयो मा ऽ भूत् राजा कालस्य कारणम्।।''

संक्षेप में राजा अपने समयकाल का स्वयं दिशादर्शक होता है। भाजपा को जिन राज्यों में सत्ता मिली है वहां भाजपा ने अभिनव पहल की है, जो सुशासन के अनुकरणीय मॉडल के रूप में सामने आ रही है।

सुशासन के भविष्य कथन और भावी दृष्टि जैसे महत्वपूर्ण तत्व एक दिशा देने वाले नेतृत्व अपेक्षा रखते हैं। सरकार को भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगा लेना चाहिए और मौजूदा आंकड़ों तथा प्रवृत्तियों को आधार बनाकर नीतियां विकसित करनी चाहिए, जिनमें भावी लागत का भी ध्यान रखा गया हो। सरकार को सभी कानूनों, प्रक्रियाओं तथा संहिताओं का निर्भीकतापूर्वक और पक्षपात या भेदभाव रहित भावना के साथ लागू करना चाहिए।

> ***प्राचीन भारतीय विद्वानों के अनुसार सुशासन आनंद की आदर्श को प्राप्त करने के लिए और प्रशासन में संकट पर विजय पाने के लिए एक व्यापक तथा अंतिम समाधान होता है। दक्षिण भारत में लोकतंत्र का उत्तरमेरूर मॉडल, जो 100 ईसवी से काफी पहले प्रचलन में था, भली प्रकार अभिलेखबद्ध है।***

वर्तमान भारतीय संदर्भ में सतत् विकास और लोगों के कल्याण को बढ़ाने हेतु सुशासन अति आवश्यक है। जहां संभव हो वहां हमें ई–गवर्नेंस पर बल देना चाहिए क्योंकि इससे पक्षपात समाप्त होगा तथा कार्यदक्षता में वृद्धि होगी।

हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं ने साठ वर्षों के आपातकाल को छोड़कर अच्छा कार्य किया है। हमारे यहां कानून का शासन है और हमारे यहां एक जागरूक समाचार माध्यम है। भारतीय संविधान की मूल भावना में सुशासन के सारे आवश्यक तत्व मौजूद हैं। हमारी प्राथमिकता कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना और सफल बनाना है। किंतु सुशासन के अभाव में तथा क्षुद्र और भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप देश के कतिपय वर्गों/क्षेत्रों में असंतोष व्याप्त है।

कुछ ऐसे देशों के विपरीत जहां अतिशय सैनिक प्रभाव, मानव अधिकारों का दुरूपयोग तथा जवाबदेही के न होने के कारण विकास को क्षति हुई है, सुशासन के बारे में भारत का इतिहास निराशाजनक नहीं रहा है, बल्कि उसमें व्यापक सुधार की गुंजाइश है। आज निर्वाचित प्रतिनिधियों को सुशासन के मानकों के प्रति अधिक संवेदनशीलता और समझ की आवश्यकता है। हमें सुराज प्राप्त करने के लिए लंबा मार्ग तय करना है।

स्वतंत्रता के बाद अपने देश में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अपनी तरह के ऐसे सर्वप्रथम आयोजन के लिए मैं अपने सम्मानित सहयोगी तथा भाजपा के गवर्नेंस सेल के संयोजक और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर को बधाई देना चाहूंगा। ■

सुशासन ही सही राजनीति : मोदी

Xजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए 'सुराज' अर्थात 'सुशासन' पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अपने एक घण्टे के भाषण में उन्होंने न केवल सुशासन की आवश्यकता और चिंतन की बात कही बल्कि इसकी कार्ययोजना को भी मुखरित किया। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोई भी अच्छी सरकार भावी पीढ़ियों के कल्याण को ध्यान में रख कर काम करेगी, न कि उसका ध्यान केवल अगला चुनाव जीतने पर होगा।

सुराज अधिवेशन में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रचलित भावना गलत है कि सुशासन विकृत राजनीति को पनपाती है, बल्कि इसके विपरीत वास्तव में सुशासन ही सही राजनीति को जन्म देती है। उन्होंने आगे कहा कि मात्र शासन करना ही काफी नहीं होता है क्योंकि शासन में तो सक्रिय होना आवश्यक है और यह लोगों के हित में होना आवश्यक है। सुशासन से ही लोगों को विकास प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु बनाया जा सकता है।

> ***मात्र शासन करना ही काफी नहीं होता है क्योंकि शासन में तो सक्रिय होना आवश्यक है और यह लोगों के हित में होना आवश्यक है। सुशासन से ही लोगों को विकास प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु बनाया जा सकता है।***

जवाबदेही के विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम केवल प्रक्रिया की बात पर न अड़ें, बल्कि हमारा ध्यान कार्य–निष्पादन पर रहना आवश्यक है। हमें यह नहीं देखना है कि हमसे क्या कुछ भूल चुक हुई बल्कि हमें देखना यह होगा कि हमने किन कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है। उन्होंने इसी को जवाबदेही की संज्ञा दी।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वास्तव में सुशासन पारदर्शिता से भी कहीं दूर जाकर खुलेपन का वातावरण बनाती है जिसका मतलब है कि हम लोगों को निर्णय–प्रक्रिया में भाग लेने का आमंत्रण देते हैं।

पारदर्शिता और शासन में लोगों की भागीदारी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पारदर्शिता एक प्रकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है तो खुलेपन का मतलब भाग लेने का अधिकार होता है।

उन्होंने गुजरात का उदाहरण दिया कि 'ई–ग्राम' से 18000 गांवों को आनलाइन जोड़ा गया और इस तरह जनकल्याण के लिए टेकनालाजी का इस्तेमाल करते हुए विनाश काल में एसएमएस का प्रभावकारी ढंग से इस्तेमाल हो पाया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य भी इस प्रकार की अनूठी योजनाओं को अपना सकते हैं। इस तरह से सुशासन में टेक्नालाजी का प्रभावी उपयोग हो पाया है।

श्री मोदी ने भाजपा शासित सरकारों द्वारा सुशासन के प्रयासों को सराहा और इस सम्बंध में उन्होंने मध्य प्रदेश में 'लाडली लक्ष्मी' योजना, कर्नाटक में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों और छत्तीसगढ़ में पीडीएस सुधारों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया जो निश्चित ही सुशासन के उदाहरण हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को निःशुल्क सेवा प्रदान करने की बजाय उत्तम प्रकार की सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। लोगों के सामने विकल्प रहना चाहिए और उन्हें इन विकल्पों की जानकारी भी मिलनी चाहिए ताकि वे इनके बारे में निर्णय ले सकें।

उन्होंने इस बारे में थोड़ा आश्चर्य भी प्रगट किया कि बच्चों के लिए बाल दिवस ने क्या भला किया है। उन्होंने कहा कि ''जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उनके जन्मदिन को बाल दिवस का नाम दिया गया। बच्चे उन्हें 'नेहरू चाचा ' पुकारते थे और इससे हमारे मन मस्तिष्क पर एक उदार नेहरू की तस्वीर उभरती है। परन्तु इससे बच्चों का क्या भला हुआ?''

श्री मोदी ने यह बात इस अवसर पर कहते हुए नेहरू की तुलना उस समय के एक और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से की। उन्होंने कहा कि ''शास्त्री जी नेहरू की तरह कोई करिश्माई नेता नहीं थे, फिर भी उनके शासनकाल में भारत में अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ।''

विपक्ष को दें सम्मान : सुषमा स्वराज

इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों और भाजपा शासित राज्यों के छह मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे अपने अपने राज्यों में विपक्षी दलों की छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दें, उन्हें मान्यता दें और उनका सम्मान करें।

श्रीमती स्वराज ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि जब वह केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री थीं तो उन्होंने अपनी आदत बना ली थी कि जब कभी भी कोई सांसद अस्पताल में भर्ती होता था तो वह उसका हाल–चाल जाना करती थी और उसके पास पुष्प भेजा करती थीं।

उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी पार्टी सत्ता में है तो हमें वहां सुशासन का उदाहरण पेश करते हुए इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए।

सम्मेलन में भाजपा शासित राज्यों के आठ राज्यों से 67 मंत्रियों ने भाग लिया जिनमें से छह भाजपा शासित राज्य और दो गठबंधन सहयोगी राज्य शामिल थे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बीएस येदियुरप्पा, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा गवर्नेंस सेल के राष्ट्रीय संयोजक श्री मनोहर पर्रिकर और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी इस अवसर पर उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह इस अवसर पर नहीं आ सके क्योंकि 5 जून को उनके पिताश्री का निधन हो गया था। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 पदाधिकारी और 40 केन्द्रीय नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ■

हिसार की घटना से कांग्रेस का दलित-प्रेम बेनकाब हुआ- रामनाथ कोविन्द

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रामनाथ कोविन्द द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

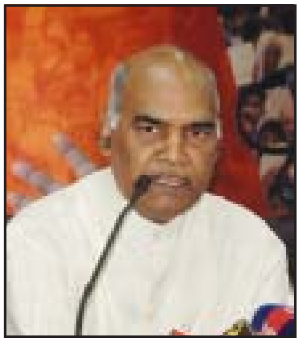

fgसार जिले के मिर्चपुर गांव में वाल्मीकि समाज पर हुए अत्याचार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को लगाई गई फटकार, प्रदेश सरकार की प्रशासनिक व संवैधानिक विफलता को उजागर करती है। श्री राहुल गांधी व मुख्यमंत्री द्वारा घटनास्थल पर जाकर मात्र संवेदना प्रकट करना, लेकिन वास्तव में आज तक उन्हें सुरक्षा न प्रदान करना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था न करने में पूरी तरह विफल रहना, कांग्रेस सरकार के दलित प्रेम को बेनकाब करता है।

हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में 21 अप्रैल, 2010 को वाल्मीकि समाज पर हुए अत्याचार की अमानवीय घटनाएं, जिसमें दो व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया और लगभग 35 घरों में लूटपाट कर उनमें आग लगा दी गई, के संबंध में पीड़ित परिवारों को प्रदेश सरकार से अभी तक सुरक्षा व न्याय न मिलने के कारण आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस विषय की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को 02 जून, 2010 को कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देशित किया गया। छह सप्ताह बीत जाने के बाद भी पलायन करने वाले लगभग 150 परिवार आज भी असुरक्षा के कारण दिल्ली में मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर में रहने के लिए मजबूर हैं। पीड़ित परिवारों की मांग है कि उन्हें पुनर्वास हेतु हिसार नगर में बसने हेतु मकान उपलब्ध कराने की सरकार तुरंत व्यवस्था करें, लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक इस संबंध में निर्णय लेने में विफल रही है।

श्री राहुल गांधी व मुख्यमंत्री इस घटना के 10 दिनों बाद 30 अप्रैल को गांव में जाकर नष्ट किए गए घरों की मरम्मत के लिए मुआवजा व मृतक परिवारों को नौकरी देने की घोषणा करते है। पीड़ित परिवार मुआवजा स्वीकार करने के बजाय अपनी जान–माल की सुरक्षा की गारंटी की मांग करते है। किंतु प्रदेश सरकार आज तक इन परिवारों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाई है। पीड़ित परिवारों से मिलकर राहुल गांधी ने दलितों का हितैषी होने का दावा किया और सोनिया जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करने मात्र से अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री मान ली। अंततोगत्वा ये सब मात्र दिखावा ही साबित हुआ है। आज भी ये पीड़ित परिवार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज तक अपराधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी मांग है कि राहुल गांधी अपने दलित प्रेम का दिखावा करना बंद करें और प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को सुरक्षा तथा पुनर्वास हेतु मकान शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। ■

आवश्यक वस्तुओं का वायदा व्यापार बंद हो : गडकरी

Hkk जपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कांग्रेसनीत यूपीए सरकार से मांग की है कि केन्द्र तुरंत ही आवश्यक वस्तुओं को वस्तु–विनिमय श्रेणी से बाहर निकाले और इनका वायदा व्यापार बंद करे क्योंकि इससे सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों को भारी हेराफरी करने का मौका मिलता है जिसकी आम आदमी और गरीबों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

पार्टी की बागडोर संभालने के बाद श्री गडकरी ने पहली बार हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने 6 जून को एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा– ''सरकार कम से कम जो एक काम कर सकती है, वह यह है कि वह आवश्यकता वस्तुओं को वस्तु–विनिमय श्रेणी से बाहर निकाल सकती है। मैं यह मांग पिछले चार महीनों से करता आ रहा हूं। प्रधानमंत्री भी इससे सहमत हैं, परन्तु अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है।''

यूपीए सरकार की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए की गलत

> ***यूपीए की गलत आर्थिक नीतियों और खराब प्रशासन ही आज आर्थिक संकट और भारी मुद्रास्फीति का कारण है।''***

आर्थिक नीतियों और खराब प्रशासन ही आज आर्थिक संकट और भारी मुद्रास्फीति का कारण है।''

आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात जोरदार ढंग से पेश की और उनके सामने आलू उत्पादन करने वाले किसानों का उदाहरण पेश किया जो सिद्ध करता है कि किस प्रकार से वस्तु–विनिमय हेराफेरी और सट्टेबाजी का स्रोत बन गया है। 2009 में, वस्तु–विनिमय के अन्तर्गत आलू की कुल बिक्री केवल 40 लाख टन थी परन्तु वास्तविक सुपुर्दगी 7000 टन ही हुई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही हुआ कि इस व्यापार में 99.82 प्रतिशत केवल कागजों पर रह कर सट्टेबाजी में चला गया। इस विनिमय की कुल बिक्री 10,88,224 करोड़ रूपए हुई और सुपुर्दगी मात्र 3591 करोड़ हुई। इस प्रकार 10,84,633 करोड़ रूपए की शेष राशि सट्टेबाजी में चली गई। जहां एक तरफ आलू उत्पादक किसानों को 2 रूपए से 4 रूपए प्रति किलोग्राम का भाव दिया जाता है, वही हम देखते हैं कि पिछले वर्ष अक्तूबर–नवम्बर में आलू की खुदरा कीमत मेट्रो शहरों में 20 से 24 रूपए प्रति किलोग्राम थी। इसलिए यूपीए सरकार को जवाब देना होगा कि इससे किसको लाभ पहुंचा? क्या यह कार्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नहीं थीं?

श्री गडकरी ने इस स्थिति के लिए कांग्रेस–नीत सरकार को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि 2004 में आवश्यक वस्तुओं को वायदा/अगाऊ बाजार में बदल दिया गया था। कृत्रिम बिक्री ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया।

श्री गडकरी ने केन्द्रीय सरकार द्वारा 58,000 करोड़ रूपए के अनाजों के सड़ने की बात को स्वीकार करने का उल्लेख करते हुए इस घोटाले की जांच की मांग भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़ी हुई गेहूं को 3 रूपए प्रति किलो ग्राम की नाम मात्र मूल्य पर शराब–निर्माताओं की लॉबी को बेचा गया, जबकि हम देख रहे हैं कि गरीब लोग भूख के मारे मरे जा रहे हैं।

श्री गडकरी ने कहा कि कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार का दूसरी बार सत्ता संभालने का शासन एकदम विफल रहा है। इस शासनकाल में हर मोर्चे पर सरकार का हताशापूर्ण प्रदर्शन दिखाई पड़ा है। अगर उसकी इस दौरान कोई उपलब्धि रही है तो वह यही रही कि इस काल में निरंतर कीमतें बढ़ती रहीं, मुद्रास्फीति का प्रसार बढ़ता गया, आम आदमी का कभी खत्म न होने वाला संकट बना रहा, किसानों

की आत्महत्याओं में वृद्धि होती रही और शहरों तथा गांवों में बेरोजगारी अपने पांव पसारती रही।

उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने 100 दिनों में मंहगाई के मुद्दे का समाधान निकालने का वायदा किया परन्तु हुआ यह है कि अनेकानेक वस्तुओं की कीमतें 100 प्रतिशत तक बढ़ गईं। आज मुद्रास्फीति 17–20 प्रतिशत के बीच फैली हुई है। उधर कृषि का हाल भी नकारात्मक है।

24 मई 2010 को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर स्वयं स्वीकारा है कि –

– ''निरंतर बढ़ती कीमतें गहरी चिंता का विषय है। सरकार मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देती है ताकि आम आदमी संकट से बाहर निकले।''
– किन्तु, उन्होंने बढ़ती गरीबी, गरीबों–अमीरों के बीच बढ़ती असमानता की खाई और किसानों की आत्महत्याओं की बात तक नहीं की।

कांग्रेस अध्यक्षा और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी तथा डॉ. मनमोहन सिंह ने 29 मई को यूपीए का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जिसमें स्वीकारा गया है कि–

– ''आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या कीमतों पर दबाव की है।'' डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि हम बहुत ध्यान से इस स्थिति पर नजर रखते रहेंगे और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए जो भी सुधारात्मक उपाए करने होंगे, उन्हें करेंगे।

उन्होंने कुछ चुनिंदा वस्तुओं के निर्यात और खाद्यान्नों के वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही।

श्री गडकरी ने केन्द्र सरकार को बेनकाब करते हुए कहा कि उसने 2009–10 में 7.4 जीडीपी वृद्धि का दावा किया है। विडम्बना है कि इसी अवधि में कृषि विकास मात्र 0.2 प्रतिशत रहा है। उधर बिजली, उर्वरक, बीजों और डीजल आदि की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।

– आज देश के सामने जल सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। कांग्रेस सरकार ने भाजपा–एनडीए सरकार की नदियों को जोड़ने वाली परियोजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया है।
– दक्षिण में, जल और नदियों की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।
– दक्षिण भारत नदीग्रिड, महानदी, गोदावारी, कृष्णा, कावेरी और पेनार नदियों को आपस में जोड़ने के काम पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है।
– बड़े/छोटे बांधों के निर्माण और अन्य सिंचाई योजनाओं पर काम की मांग भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है।
– भारत में कृषि विकास 0.2 प्रति है जबकि गुजरात में कृषि विकास 14 प्रतिशत हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार को गुजरात से सबक सीखना चाहिए।
– कृषि बुनियादी ढांचे को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा विकास के लाभों को आम आदमी तक पहुंचना चाहिए।

भाजपा मांग करती है:

- *कृषि–अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाए।*
- *कृषि विकास और कृषि बुनियादी ढांचे के लिए समुचित धन की व्यवसाि की जाए।*
- *जल और नदी परियोजनाओं के काम को युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।*
- *खाद्यान्नों और हार्टिकल्चर स्टोरेज का समुचित प्रबंध होना चाहिए।*
- *अगले 25 वर्षों के लिए पूर्णस्टोरेज योजना तैयार की जाए।*
- *किसानों के लिए स्टोरेज स्वामित्व की व्यवस्था हो–*
- *जिसमें 50 प्रतिशत सरकारी सब्सिडी दी जाए।*
- *45 प्रतिशत वित्तीय पोषण 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर की जाए।*
- *किसानों की ओर से 5 प्रतिशत के अंशदान की व्यवस्था रहे।*

आंध्र सरकार की विफलता

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भी दूसरी शासनावधि का प्रथम वर्ष पूरा किया है। इस सरकार की भी सभी मोर्चों पर संकटग्रस्त तस्वीर सामने नजर आती है। नक्सलवाद फैल रहा है।

सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का राजनैतिक नेतृत्व सभी प्रमुख समस्याओं पर बुरी तरह से बंटा दिखाई पड़ता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनेकों कल्याणकारी योजनाएं वापस ले रही है जैसे फीस की प्रतिपूर्ति, बीसी, इबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली स्कालरशिप आदि। आईआईटी में ग्राम–आधारित विद्यार्थियों ने 50 प्रतिशत सीटों को भी वापस लिया जा रहा है। आरोग्य श्री, इंदिरा आवास योजना, राजीव गृह कल्प तथा पेंशन, महिला एसएचजी की पवाला वद्दी के लिए धन उपलब्ध नहीं है। ■

मौतें २५ हजार, सजा सिर्फ दो साल

भोपाल गैस त्रासदी : देर भी-अंधेर भी

nनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में मरे करीब 25 हजार लोगों को 25 साल बाद न्याय मिला या नहीं, इस पर बहस अब भी जारी रहेगी। परंतु 2–3 दिसंबर, 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के संयंत्र से निकली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) के कारण हुए हादसे पर 19 जजों द्वारा की गई सुनवाई के बाद अंततः अदालत का फैसला आ गया है। भले ही यह देर आयद दुरुस्त आयद की तर्ज पर न हो। 7 जून, 2010 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन पी. तिवारी ने खचाखच भरे कमरे में अपना निर्णय सुनाया।

फैसले में उन्होंने यूनियन कार्बाइड के भारतीय चेयरमैन, अब 85 वर्ष के हो चुके केशव महिंद्रा समेत 8 लोगों को दोषी करार देते हुए दो–दो साल की सजा और प्रत्येक को एक लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा है। यूनियन कार्बाइड पर भी 5 लाख का जुर्माना किया गया है, लेकिन घटना के ⏭ ⏭सबसे बड़े दोषी वारेन एंडरसन के बारे में अदालत ने कुछ भी नहीं कहा। दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304.ए (लापरवाही के चलते मौत) और 304.दो (लापरवाही को जानते हुए उसे गंभीरता से न लेना, जिसके परिणामस्वरूप किसी की मौत हो जाना), 336, 337, 338; घोर लापरवाही) के तहत सजा सुनाई गई।

सजा दिए जाने के दौरान दुर्घटना के समय अमेरिका स्थित यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन रहे वारेन एंडरसन का

आरोपी एडरसन की कांग्रेसनीत राज्य व केन्द्र सरकार ने की भरपूर मदद : भाजपा

Hkksपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में कोर्ट से मिले निराशाजनक फैसले की जिम्मेवारी, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश सरकार की है। यह बात अब साफ हो गई है कि कांग्रेस की दोनों सरकारों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को मदद करने का ही काम किया था। इस फैसले से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हुई है। उनकी जन–विरोधी नीतियों का पर्दाफाश हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष एंडरसन को भारत से पलायन का मौका देने के मामले में कांग्रेस को देश से क्षमा मांगनी चाहिए तथा उन्हें भारत में कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए प्रत्यर्पण का आग्रह करने हेतु अमेरिका के समक्ष राजनीतिक इच्छा प्रदर्शित करनी चाहिए।

यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष श्री एंडरसन को भारत से पलायन का मौका देने से ही पीड़ितों का केस कमजोर हो गया था। भोपाल के तत्कालीन जिलाधीश श्री मोती सिंह ने साफ किया है कि तत्कालीन मुख्य सचिव श्री ब्रह्मस्वरूप के आदेश से ही एंडरसन को 25,000 रूपए के मुचलके पर दो घंटे में छोड़ा गया था। इतना ही नहीं उन्हें सरकारी हवाई जहाज से तुरंत दिल्ली भेजा गया था। याद रहे कि सरकारी हवाई जहाज मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना किसी को सुलभ नहीं कराया जा सकता था। साथ ही सरकार के नियमों के अनुसार उस हवाई जहाज पर किसी न किसी एक मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी का साथ रहना जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि एंडरसन को दिल्ली लाने वाले हवाई जहाज में उनके साथ कौन मंत्री थे, इसका खुलासा किया जाए? उस समय के प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की सम्मति के बिना इस तरह का बड़ा कदम कोई नहीं उठा सकता था। इसलिए इस मसले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस ने हर बार आरोपित कंपनी की सहायता की है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी निम्न प्रश्नों का उत्तर चाहती है :

- 2 बिलियन डॉलर मुआवजा मांगने के बाद 300 मिलियन डॉलर के कम मुआवजे पर कोर्ट के बाहर समझौता क्यों किया गया?
- यूनियन कार्बाइड के नए संस्करण डाउ कैमिकल को भारत में निवेश की इजाजत देने संबंधी केन्द्रीय मंत्री श्री कमल नाथ ने वकालत क्यों और कैसे की?
- भोपाल की कोर्ट के फैसले के बाद भी अमेरिकन कंपनी ने ज्यादा मुआवजा देने से साफ इनकार किया है। भारत सरकार इस संदर्भ में आगे क्या कार्रवाई करना चाहती है?
- भोपाल हादसे से सबक न लेकर सरकार परमाणु दायित्व विधेयक के प्रावधानों को सख्त करने के बजाय नरम क्यों कर रही है? ■

कहीं कोई जिक्र नहीं था। एंडरसन को 1992 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। फिलहाल वह अमेरिका में रह रहा है। अन्य दोषियों में विजय विजय गोखले (कंपनी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक), किशोर कामदार (कंपनी के तत्कालीन पूर्व उपाध्यक्ष), जे. एन. मुकुंद (पूर्व वर्क्स मैनेजर), एसपी चौधरी (पूर्व प्रोडक्शन मैनेजर), केवी शेट्टी (तत्कालीन प्लांट सुपरिटेंडेंट) और एसआई कुरैशी (तत्कालीन प्रोडक्शन असिस्टेंट) शामिल हैं। कुरैशी को छोड़कर महिंद्रा समेत बाकी सातों लोग अदालत में उपस्थित थे।

एक अन्य आरोपी रहे आर बी

रायचौधरी (कंपनी के पूर्व वर्क्स मैनेजर) की मौत हो चुकी है। बीते 23 वर्ष में इस मामले में अदालत में 178 गवाहों और 3008 दस्तावेजों को पेश किया गया। सुनवाई में यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (अमेरिका) और यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न (हांगकांग) भी मौजूद नहीं थीं।

तत्काल जमानतः सभी दोषियों ने न्यायाधीश द्वारा सजा, सुनाए जाने के बाद में जमानत की अर्जी दी, जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया। पीडि़तों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे संगठनों और परिवारों ने न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सजा को बहुत कम और बहुत विलंब से बताया।

यूनियन कार्बाइड में थी खराबी: इससे पूर्व सीबीआई के वकील सी. सहाय ने कंपनी के डिजायन और उसके खराब रख–रखाव को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया।

1982 में अमेरिकी यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों ने भोपाल स्थित कारखाने का निरीक्षण किया था और उसकी सुरक्षा और रख–रखाव में भारी कमी पाई थी। दुर्घटना के बाद भोपाल के कारखाने जांच करने पहुंची अमेरिकी टीम को वही कमियां मिली थीं। गैस रिसाव के तुरंत बाद 2,259 लोगों की मौत हो गई।

तारीख पर तारीखः दुर्घटना की एफआईआर 3 दिसंबर, 84 को दायर की गई और 6 दिसंबर, 84 को मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। सीबीआई ने एक दिसंबर, 87 को चार्जशीट दायर की और इसके बाद एक स्थानीय अदालत ने आरोप तय किए। ■

देश की न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान

जस्टिस बीएन खरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश

भोपाल गैस त्रासदी पर जो फैसला आया है वह निश्चित रूप से देश की अपराध न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान तो है ही, चुनौती भी है। इससे साफ है कि हमारी मौजूदा व्यवस्था ऐसे जघन्य अपराधों और लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए नाकाफी है। यह स्थिति शर्मनाक है।

जिस हादसे में 20 से 25 हजार लोग मर गए, लाखों लोग गंभीर रूप से पीड़ित हुए उसके दोषियों को हमारी न्याय व्यवस्था दो साल की सजा सुनाती है। ऐसे में सोचिए कि इस खौफनाक दुर्घटना के पीड़ितों को क्या न्याय मिला? वे जिस अदालत के पिछले 25–26 साल से न्याय की आस में चक्कर काट रहे हैं वहां से उन्हें जो मिला उसे न्याय तो नहीं कहा जा सकता। मेरी नजर में पूरे तंत्र में बड़े परिवर्तन की जरूरत है वर्ना आम लोगों का अपनी न्याय प्रणाली से विश्वास उठने लगेगा। भारतीय दंड संहिता में संशोधन वक्त की जरूरत है। हजारों लोग जिस दुर्घटना में मारे गए उसके दोषियों को किस आधार पर वह सजा दी गई जो मामूली सड़क दुर्घटना के दोषियों को दी जाती है। पीड़ित अगर आज यह सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें इसका पूरा हक है।

सुप्रीम कोर्ट के 1996 में दिए गए फैसले ने सारे मामले की दिशा बदल दी। इसने भोपाल गैस कांड के दोषियों को जो राहत दी, उससे सारा केस बिगड़ गया।

मुझे तो समझ नहीं आता कि जिस दुर्घटना में हजारों लोगों की मौत हुई हो, पीढ़ियां विकलांग पैदा हो रही हों, उसके आरोपियों के खिलाफ 304 (ए) का मामला कैसे बनाया गया? इसमें अधिकतम सजा ही दो साल की है और जुर्माना भी मामूली है । इतनी भयानक दुर्घटना के लिए यह धारा कैसे और क्यों लगाई गई, यह समझ से परे है। जिस दुर्घटना के लिए 200–400 करोड़ का जुर्माना मिलना चाहिए था और कड़ी सजा होनी चाहिए थी, उसमें दोषियों को यूं ही छोड़ दिया गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह के फैसले लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। ■

(भाषा सिंह से बातचीत पर आधारित)

कांग्रेसनीत राज्य सरकार के आदेश पर छूटा था एंडरसन

तत्कालीन कलक्टर मोती सिंह का खुलासा

fnसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के समय जिला कलेक्टर रहे मोती सिंह ने यह कहकर सच बया किया कि राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हजारों बेगुनाहों की हत्या के आरोपी यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वारेन एंडरसन को कानून के शिकंजे से बचाकर भारत से बाहर ले जाने में मदद की थी। उस वक्त अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। मोती सिंह ने कहा कि एंडरसन को भोपाल पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्य सचिव ने उसे छोड़ने के आदेश दिए थे। वह गैस पीड़ित इलाकों में भी जाना चाहता था, लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं दी गई।

मोती सिंह के बयान के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गयी। अर्जुन सिंह दबाव में हैं और कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई अर्जुन सिंह की मुलाकात से की। दबाव में आई कांग्रेस ने इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश में मोती सिंह के बयान पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भाजपा ने कहा कि जिस तरह राज्य की तत्कालीन अर्जुन सिंह सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं,उनका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए।

गैस त्रासदी के तीन दिन बाद 7 दिसंबर 1984 की घटना को याद करते हुए मोती सिंह ने कहा, ''उस दिन मुझे सुबह आठ बजे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने बुलाया और कहा कि वारेन एंडरसन एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट अफसरों से कहा गया है कि कलेक्टर के आने तक उनके विमान को न उतरने दें। लेकिन मेरे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले विमान लैंड कर चुका था किंतु दरवाजे नहीं खुले थे। विमान में केशव महिंद्रा व विजय गोखले भी थे।'

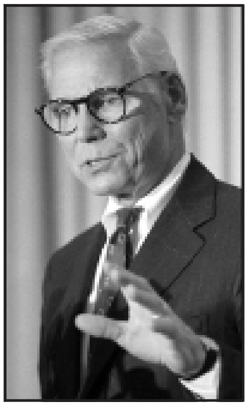

मोती सिंह ने कहा कि तीनों ने जैसे ही भोपाल की जमीन पर कदम रखा, उन्हें गिरफ्तार कर यूनियन कार्बाइड के श्यामला हिल्स गेस्ट हाउस ले जाया गया। बाद में भोपाल पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। मोती सिंह ने कहा, ''उसी दिन दोपहर बाद दो बजे मुख्य सचिव ब्रह्मस्वरूप ने मुझे और तत्कालीन एसपी स्वराजपुरी को अपने ऑफिस बुलाया और हमसे कहा कि एयरपोर्ट पर विमान खड़ा है। जितना जल्द हो सके एंडरसन को दिल्ली भेजने का इंतजाम करो। बाद में 25,000 रुपए की जमानत की व्यवस्था कर एंडरसन को छोड़ दिया गया।' उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं बताया गया कि एंडरसन को आखिर क्यों छोड़ा जा रहा है। मोती सिंह ने बताया कि एंडरसन वापस जाने के बजाय भोपाल में रुककर यह जानना चाहता था कि आखिर गैस हादसा हुआ कैसे। उसकी इच्छा गैस पीड़ित इलाकों में जाकर प्रभावितों से मिलने की भी थी। लेकिन उन्होंने एंडरसन से साफ कहा कि उन्हें भोपाल छोड़ना होगा। यहां आपकी जान को खतरा है।

मोती सिंह ने कहा, ''मेरे लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि एंडरसन को दो–तीन दिसंबर की रात की घटना की पूरी जानकारी थी।

उन्होंने यह भी बताया था कि संयंत्र से गैस कैसे रिसी होगी।' बताया जाता है कि दिल्ली पहुंचने के बाद एंडरसन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह से मिलने राष्ट्रपति भवन भी गए थे। ■

जांच में सहयोग नहीं किया था अमेरिका ने

भोपाल गैस त्रासदी की जांच में अमेरिका ने सीबीआई के साथ सहयोग नहीं किया था। सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक के.माधवन के अनुसार 1992 में सीबीआई की एक टीम अमेरिकी सरकार की सहमति से यूनियन कार्बाइड के कारखानों की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए अमेरिका गई थी लेकिन अंतिम क्षणों में टीम से कहा गया कि उसे यूनियन कार्बाइड के कारखानों का मुआयना करने की अनुमति नहीं है । इस बीच विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के बारे में वाशिंगटन में भारत के पूर्व राजदूत रोनेन सेन ने सीबीआई को पत्र लिख कर कहा था कि प्रत्यर्पण के लिए दिए गए सबूत पर्याप्त नहीं हैं। ■

सबसे बड़ी न्यायिक त्रासदी

jktho lpku

bस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भोपाल गैस कांड के फैसले पर देश में दुख और आक्रोश की एक लहर उमड़ पड़ी है। देश भर में इस पर अविश्वास व्यक्त किया जा रहा है कि आखिर इतने संगीन मामले में, जिसमें हजारों लोग कीड़े–मकोड़ों की तरह मरे हों, इतने वर्षों बाद इतनी कम सजा कैसे सुनाई जा सकती है?

यह सवाल तो अनिवार्य रूप से उठेगा कि यूनियन कार्बाइड के मुखिया वारेन एंडरसन का बाल बांका क्यों नहीं हो सका? मामूली मुआवजा मिलने और यूनियन कार्बाइड खरीदने वाली कंपनी डो केमिकल्स द्वारा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने पर भी सवाल उठेंगे। इसकी तो कल्पना करना ही व्यर्थ है कि वारेन एंडरसन की खोज–खबर लेने की कोई कोशिश होगी।

यदि ऐसी कोई कोशिश की भी जाए तो आसार इसी बात के अधिक हैं कि अमेरिकी प्रशासन वैसा ही रवैया अपनाएगा जैसा जिहादी डेविड हेडली के मामले में अपनाया। भले ही इन 26 वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय तरक्की की हो, लेकिन अमेरिका के समक्ष वह असहाय है। नक्सली हिंसा एक खुला युद्ध है।

भारत की प्रभुसत्ता को यह एक गंभीर चुनौती है। इसलिए इसका दमन करने के लिए एक युद्ध के पूरे साधन झोंके जाने चाहिए। सेना का उपयोग यदि इस युद्ध में नहीं किया जाएगा, तो फिर कब किया जाएगा? निःसंदेह भारत सरकार वैसा जवाब नहीं दे सकती जैसा यूनियन कार्बाइड खरीदने वाली कंपनी डो केमिकल्स के मुखिया फ्रैंक पोपॉक ने दिया था।

फ्रैंक ने कहा था कि हम उस घटना की जिम्मेदारी नहीं ले सकते जो ऐसे उत्पाद के कारण हुई जिसका हमने उत्पादन नहीं किया और ऐसे स्थान पर हुई जहां हमने कभी कार्य नहीं किया। बावजूद इसके केंद्र सरकार वैधानिक और नैतिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि गैस पीडितों को यथोचित मुआवजा मिले। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि 1984 में दो त्रासदियां (सिख विरोधी दंगे और भोपाल गैस कांड) घटीं और दोनों ही मामलों में न्याय होना शेष है। हर कोई इस बारे में अफसोस के साथ सुनिश्चित हो सकता है कि इन दोनों ही मामलों में न्याय नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि न तो इन त्रासदियों के वक्त शासकों में इसके प्रति इच्छाशक्ति थी, न उसके बाद के शासकों में और न आज के शासकों में। यह एक रहस्य है कि भारत सरकार 4700 लाख डॉलर के मुआवजे पर कैसे सहमत हो गई।

जब इस मुआवजे पर सहमति हुई थी तब तक अर्थात् 1989 में यह स्पष्ट हो चुका था कि गैस पीडितों की वास्तविक संख्या 1984 के आंकड़ों से कई गुना अधिक है। यह भी एक रहस्य है कि मुआवजे की पेशकश इस आधार पर क्यों स्वीकार की गई कि भारत सरकार भविष्य में यूनियन कार्बाइड

एक अनुमान के अनुसार 23 दिसंबर को यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से रिसी गैस से आठ–दस हजार लोगों की मौत हुई और फिर उसके दुष्प्रभाव के चलते धीरे–धीरे बीस हजार लोग काल के गाल में समा गए। तीस हजार से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सिर्फ दो–दो साल की सजा और सजा मिलते ही जमानत मिलना न्याय का मजाक है। इस मामले में ऐसा ही फैसला आना था। जब हल्की धाराओं में मुकदमा चला तो फिर कठोर सजा मिलने का सवाल कैसे उठ सकता है?

अथवा उसके अध्यक्ष के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी?

इस पर भी गौर करें कि यह मुआवजा राशि पहले दावा की गई राशि की तुलना में छह गुना कम थी। भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड को सस्ते में छोड़ दिया, इसका एक सबूत यह है कि मुआवजे पर सहमति की घोषणा होते ही यूनियन कार्बाइड के शेयरों में दो डॉलर का उछाल आ गया था। ये तथ्य डोमिनिक लापियरे और जेवियर मोरो की भोपाल त्रासदी पर लिखी गई पुस्तक फाइव पास्ट मिडनाइट में दिए गए हैं। इस पुस्तक के अनुसार गैस त्रासदी का शिकार हुए लोगों में मृतकों के परिजनों को मात्र साठ हजार और घायलों को इससे आधी रकम मिली। एक अनुमान के अनुसार 23 दिसंबर को यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से रिसी गैस से आठ–दस हजार लोगों की मौत हुई और फिर उसके दुष्प्रभाव के चलते धीरे–धीरे बीस हजार लोग काल के गाल में समा गए। तीस हजार से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सिर्फ दो–दो साल की सजा और सजा मिलते ही जमानत मिलना न्याय का मजाक है। इस मामले में ऐसा ही फैसला आना था। जब हल्की धाराओं में मुकदमा चला तो फिर कठोर सजा मिलने का सवाल कैसे उठ सकता है? क्या हमारे नीति–नियंता यह नहीं जानते थे कि गैस रिसाव के लिए लापरवाह माने जा रहे लोगों के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा चल रहा है उनमें दो वर्ष से अधिक की सजा नहीं सुनाई जा सकती? स्पष्ट है कि जानते–बूझते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि न्याय का उपहास होने देना है।

क्या ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि मरने वालों में ज्यादातर वे थे जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे? क्या कोई यह बताएगा कि जिस मामले में आरोपियों को अधिकतम दो वर्ष की ही सजा हो सकती थी उसकी सुनवाई में 25 वर्ष कैसे खप गए? यदि यह देरी भारत के न्यायिक तंत्र के लिए कलंक है तो विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के लिए दोषी लोगों को सिर्फ दो–दो वर्ष की सजा मिलना न्याय नहीं एक धोखा है।■

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

परमाणु दायित्व विधेयक का विरोध करेगी भाजपा

भोपाल गैस कांड में 26 साल बाद आए फैसले ने भाजपा को परमाणुवीय नुकसान के लिए मनमोहन सरकार द्वारा लोकसभा में पेश परमाणु दायित्व विधेयक 2010 का विरोध करने का एक और मजबूत आधार दे दिया है। भाजपा ने सरकार को भोपाल गैस मामले में कोर्ट में चली लंबी सुनवाई और दोषियों के संबंध में कोर्ट के फैसले से सबक लेने की सलाह देने में जरा भी संकोच नहीं दिखाया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व मुख्य प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि सरकार को परमाणुवीय नुकसान के सिविल दायित्व विधेयक को लेकर अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इस विधेयक पर संसद के भीतर और सरकार और विरोधी दलों के बीच गंभीर मतभेद हैं। लिहाजा सरकार को पीछे हटना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री यशवंत सिन्हा का कहना है कि अमेरिकी दवाब में इस विधेयक में परमाणु विकिरण के पीड़ित को मुआवजा अमेरिका की तुलना में तीस गुना कम रखा गया है।

इस विधेयक को लेकर भाजपा के तेवरों का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि परमाणु दायित्व विधेयक पर बातचीत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन ने लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की तो उन्होंने पार्टी की आपत्तियों के साथ मेनन को बैरंग लौटा दिया । श्रीमती स्वराज भोपाल गैस कांड को गंभीर मुद्दा मानती हैं।

उनके अनुसार जब देश में भोपाल गैस कांड जैसा हादसा हो चुका हो तो सरकार को इस बारे में कोई भी नीति बनाते समय जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। गौरतलब है, भाजपा नेतृत्व वाले राजग और वामदलों के विरोध और वाकआउट के बीच संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने परमाणु दायित्व विधेयक लोकसभा में पेश किया था। भाजपा इस विधेयक का दोनों सदनों में विरोध करेगी।

भोपाल कांड पर कोर्ट के फैसले ने पार्टी को विरोध का एक और आधार दे दिया है। इस विधेयक को संसद से पारित करवाने के लिए यूपीए सरकार को विपक्ष खासकर भाजपा के समर्थन की जरूरत है। बिना भाजपा के समर्थन के यह विधेयक भले ही खींचतान कर लोकसभा से पारित हो भी जाए तो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां यूपीए के पास बहुमत नहीं है। वरिष्ठ नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी मानते हैं कि इस विधेयक के कानून बन जाने पर परमाणु विकिरण घटना का पीड़ित मुआवजे के लिए अदालत नहीं जा सकेगा। यह कानून जन विरोधी बनेगा। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है जिसमें जीने और स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। यह उच्चतम न्यायालय के फैसले के भी विरुद्ध है क्योंकि अभी तक असीमित मुआवजे का कानून है। ■

महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साध गये प्रधानमंत्री : भाजपा

भाजपा के संसद सदस्य, महासचिव एवं मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

;द्यपि प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने संप्रग–II के प्रथम वर्ष के पूरा होने पर कल एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित किया था, तो भी हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि अब डॉ० मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने सातवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आधारभूत संरचना क्षेत्र की उचित संवृद्धि विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। हैरत की बात है कि प्रधानमंत्री ने 24 मई को पत्रकार सम्मेलन में इस क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी या टाल–मटोल किया। देश आशा करता है कि इस क्षेत्र की संवृद्धि को बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री अपनी रणनीति का खुलासा करे, वे इस दिशा में आने वाले अवरोधों को किस प्रकार दूर करके स्पष्टता लाना चाहते हैं ताकि देश को रोडमैप की जानकारी मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस बात से घोर निराशा हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इन मुद्दों को छुआ तक नहीं। भाजपा आधारभूत संरचना और अन्य सुसंगत क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रमुख क्षेत्रों में आए अंतराल पर से पर्दा हटाना चाहती है।

बिजली क्षेत्र

1. पूरा बिजली क्षेत्र गड़बड़ का शिकार है। उत्पादन घट रहा है और निकटस्थ गुड़गांव में मिलेनियम सिटी, जहां पर अनेक बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों के कार्यालय स्थित है, प्रतिदिन 10–12 घंटे की बिजली कटौती होती है, जो कि दिल्ली से बमुश्किल 10–15 कि.मी. दूर है। सच्चाई यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय को बिजली मंत्रालय के असंतोषजनक निष्पादन की जानकारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक द्वारा तैयार किए गए 30–06–09 के इंटरनल नोट की प्रतिलिपि, जिसे प्रधान सचिव के स्तर पर अनुमोदित किया गया था (इसकी प्रतिलिपि सूचना अधिकार के कानून के तहत प्राप्त की गई थी, स्पष्ट दर्शाती है कि बिजली मंत्रालय के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने नाखुशी जाहिर की है। नोट में की गई कुछ टिप्पणियां निम्न प्रकार है :

क. 1998–2003 की पांच वर्ष की अवधि (राजग शासन के दौरान) बिजली मंत्रालय ने सुधार प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई जिसकी पराकाष्ठा विद्युत अधिनियम 2003 हेतु द्विपक्षीय समर्थन में हुई। बाद के पांच वर्षों (संप्रग शासन) को केवल "गंवाए गए अवसरों का आधा दशक कहा जा सकता है", जिसके दौरान सुधार संवेग त्याग दिया गया।

ख. जहां दसवीं योजना में 44,000 मेगावाट की लक्ष्य क्षमता का 50 प्रतिशत भी नहीं जोड़ा गया, वहीं इस क्षेत्र के कर्णधारों ने 11वीं योजना में 78,000 मेगावाट का बेतुका ऊंचा लक्ष्य रखा।

ग. कुल मिलाकर बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन कमजोर रहा। तथ्यतः, बिजली प्रजनन में लगातार कमी से सकल घरेलू उत्पाद कम हुआ।

2. देश को प्रधानमंत्री से आशा थी कि वे बिजली क्षेत्र में सुधार करने और गड़बड़ दूर करने के लिए रोडमैप लेकर आएंगे, लेकिन वहां जो कुछ देखा गया वह पूर्ण मौन था।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं (सड़क क्षेत्र)

3. सब अच्छी तरह जानते है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं राजग सरकार के सर्वाधिक सफल गाथाओं में एक थीं, जो संप्रग–I के पूरे कार्यकाल के दौरान ठप्प रहीं, वह भी तब जब मंत्री श्री टी.आर. बालू ने विभाग को सनकपूर्ण तरीके से संभाला। भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद के आरोप लगे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पांच अध्यक्षों को दो वर्षों के दौरान ही बदला गया, जिस पर न्यायालय ने भी प्रतिकूल टिप्पणी की। राजग शासनकाल में प्रतिदिन 11 कि.मी. सड़क बनाई जा रही थी। संप्रग–II के नए मंत्री, श्री कमलनाथ ने शेखी बघारते हुए घोषित किया कि उनकी देखरेख में 20 कि.मी. सड़क प्रतिदिन बनाई जाएगी, किंतु लक्ष्य शायद ही कभी पूरा हुआ और व्यवधानों, तदर्थ निर्णयों, जो हमेशा परिवहन के विचार से नहीं होते थे की पुरानी शैली देखने को मिली।

4. अब योजना आयोग ने लक्ष्य को 20 कि.मी. प्रतिदिन से घटाकर 6 कि. मी. प्रतिदिन कर दिया है, जिसका गत सप्ताह किसी समय निर्णय किया गया। श्री कमलनाथ ने कहा था कि योजना आयोग आंकड़ों की जादूगरी में लिप्त है। मगर स्पष्ट है कि उसी सरकार के दो प्राधिकारी अलग–अलग आवाजों में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री से आशा थी कि वे आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनिश्चितता दूर करने के लिए स्थिति को स्पष्ट करेंगे, किन्तु उन्होंने चुप रहना ठीक समझा।

कृषि क्षेत्र

5. कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17 प्रतिशत है, किन्तु 70 प्रतिशत जनसंख्या इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा इस पर निर्भर रहती है। इस क्षेत्र में मूल्य वृद्धि का प्रभाव बहुत गहराई से महसूस होता है। कृषि आय में गंभीर कमी आ रही है और संभावना है कि वर्ष 2009–10 का प्रक्षेपण, जो शीध्र ही जारी किया जाने वाला है 0.2 प्रतिशत के माइनस रेट को प्रोजेक्ट करने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से आशा थी कि वे इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं पर बोलेंगे और अपनी योजना बताएंगे क्योंकि कृषि की संवृद्धि साम्या सहित वास्तविक संवृद्धि हेतु आवश्यक है। खाद्य अर्थव्यवस्था की गड़बड़ और घोर कु–प्रबंधन के कारण यह और भी अधिक जरूरी था। इसके परिणामस्वरूप हुई मूल्यवृद्धि ने आम आदमी के जीवन की और अधिक दुर्गति कर दी है।

बीपीएल परिवारों की सही संख्या के बारे में भ्रम

6. यह एक अन्य क्षेत्र है, जहां भ्रम और अनिश्चितता का बोलबाला है। बीपीएल परिवारों की सही संख्या की जानकारी खाद्य सुरक्षा सहित सामाजिक विकास कार्यक्रमों की पूरी श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण है। योजना आयोग के अनुसार 27.3 प्रतिशत ग्रामीण, गृहस्थ गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकार द्वारा एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में सरकार ने उन बीपीएल गृहस्थों का सर्वेक्षण करने और उनकी सही संख्या निकालने के लिए एक विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया गया था, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीमों के लिए पात्र है। कैलोरी इनटेक को आधार बनाकर इस समिति ने अनुमान लगाया कि 50 प्रतिशत ग्रामीण गृहस्थ गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र में नेशनल कमीशन फॉर एन्टरप्राइज़िज के नाम से एक अन्य विशेषज्ञ ग्रुप ने जानकारी प्राप्त कि 77 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन 20 रूपए से कम खर्च पर जीवन यापन करती है, अतः इसी को बीपीएल का आधार बनाया जाना चाहिए। सुरेख तेंदुलकर समिति ने निष्कर्ष निकाला कि देश की 37.2 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। याद रहे कि युनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट इंडेक्स ने भारत को भूटान के नीचे 132वें रैंक पर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान के ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने 88 विकासशील देशों में भारत को 65वीं पोजिशन पर रखा है।

प्रधानमंत्री से आशा थी कि वे इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण अन्तरालों को स्पष्ट करेंगे, किन्तु उन्होंने या तो चुप रहना या टाल–मटोल करना ठीक समझा। संप्रग सरकार के विगत छह वर्षों के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह का दूसरा पत्रकार सम्मेलन वस्तुतः घोर निराशाजनक रहा।

7. प्रधानमंत्री जी के लिए यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी था कि सरकार किस रिपोर्ट का अनुसरण करने जा रही है, क्योंकि उपर्युक्त अनिश्चितताओं के अलावा कई राज्य सरकारों ने अन्तयोदय अन्य योजना हेतु बीपीएल और एक्स्ट्रीम बीपीएल के बारे में अपनी सूचना इकट्ठी की है। स्पष्टतः खाद्य सुरक्षा की कोई भी धारणा तब तक निरर्थक बनी रहेगी जब तक बीपीएल परिवारों के बारे में सही स्पष्टता न हो जाए।

एयर इंडिया की गड़बड़

8. वायुयान परिवहन आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि संप्रग शासन के अर्न्तगत एयर इंडिया का क्षय हो गया है। वर्ष 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मिलाकर एक किया गया था और परामर्शदाता की रिपोर्टों के आधार पर हमको बताया गया था कि नई एकीकृत सत्ता से प्रतिवर्ष 500 करोड़ रूपए की बचत होगी।

एकीकरण के बाद होने वाले किसी सुधार की बात तो छोड़िए एयर इंडिया की संचित हानि 72,00 करोड़ रूपए है, जिसके अगले वर्ष तक 10,000 करोड़ होने की संभावना है। क्या किसी को इस गड़बड़ के बारे में जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए – विशेषतया तब जब समूचा एयर लाइंस क्षेत्र सुधार के संकेत दे रहा है?

9. उपर्युक्त आधारभूत संरचना और संवृद्धि के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रधानमंत्री से आशा थी कि वे इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण अन्तरालों को स्पष्ट करेंगे, किन्तु उन्होंने या तो चुप रहना या टाल–मटोल करना ठीक समझा। संप्रग सरकार के विगत छह वर्षों के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह का दूसरा पत्रकार सम्मेलन वस्तुतः घोर निराशाजनक रहा।■

कांग्रेस की अपभ्रष्ट राजनीति

v#.k tsVyh

; ह तो पता नहीं कि प्रकाश झा की फिल्म राजनीति को दर्शकगण कितना पसंद करेंगे किंतु, इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को मूल रूप में फिल्म भा नहीं रही है। सेंसर बोर्ड और अपीलीय ट्राइब्युनल के अलावा कांग्रेस पार्टी के तीन प्रतिनिधियों– टॉम वडक्कन, पंकज शर्मा और संजीव वर्मा ने सेंसर–पूर्व इस फिल्म को देखा। फिल्म को 'व्यस्क' प्रमाणपत्र देने की धमकी दी गई जिसके कारण स्पष्ट ही फिल्म की कमर्शियल संभावनाओं पर बहुत कुछ असर पड़ सकता था। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा फिल्म निर्माता को सुझाई गई कटौतियों को स्वीकार करने के बाद ही फिल्म को ''यू/ए'' का प्रमाणपत्र दिया गया।

इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया में बहुत से लोगों ने इस प्रकार की ''मारल पोलिसिंग'' अर्थात् इस नैतिकता की ठेकेदारी की बार–बार निंदा की है। विचित्र बात है कि इस प्रकार की नैतिक ठेकेदारी करने वाले इन राजनेताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी की राजनैतिक ठेकेदारी पर गहरी चुप्पी साध रखी है। जब कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के हितों पर आंच आई हो तो इस प्रकार की ठेकेदारी कोई पहली बार नहीं हो रही है– ऐसा कई बार हो चुका है। 1977 में आंतरिक आपातकाल के दौरान 'मास मीडिया' द्वारा दुरूपयोग पर प्रकाशित श्वेत पत्र में इस प्रकार की राजनैतिक सेंसरशिप की सूची मौजूद है। जनवरी 1975 में फिल्म 'आंधी' को स्वीकृति दी गई। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री का चित्र कुछ उसी पकार का था जैसा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री का था। आपातकाल के तुरंत बाद इस फिल्म को जुलाई 1975 में प्रतिबंधित कर दिया गया। तब भी फिल्म निर्माता द्वारा कुछ दृश्य काटने पर सहमति देने के बाद कहानी में तबदीली करने के बाद ही इसे मार्च 1976 में फिर से प्रदर्शित करने की अनुमति मिली। सरकार ने वाटरगेट पर बनी ''आल दि प्रेजीडेण्ट्ज मैन' नाम की फिल्म को ब्लाक कर दिया था और 1977 के लोकसभा में चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद ही इसका प्रदर्शन हो पाया था।

''किस्सा कुर्सी का'' फिल्म इमर्जेंसी के दौरान सेंसर के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई और तब इस फिल्म की रीलों को नष्ट कर दिया गया तथा जिसके लिए अलग से आपराधिक मुकद्दमा चला था।

विख्यात पार्श्वगायक किशोर कुमार को यूथ कांग्रेस रैली में गाने की इजाजत नहीं मिली थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उनके सभी गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। श्वेत पत्र में बताया गया था कि यह निर्णय लिया गया है कि एचएमवी और कोलम्बिया जैसी ग्रामोफोन कम्पनियों को कहा गया था कि किशोर कुमार के सभी रिकार्डों को फ्रीज कर दिया जाए और उनके गीतों का कोई रिकार्ड न बिक पाए। इसकी भी जांच की गई कि बीबीसी कैसे किशोर कुमार के गीतों का प्रसारण कर रही है और किस कंट्रक्ट में ऐसा किया गया है और इसे बंद करने के लिए क्या उपाए किए जाने चाहिए। चेयरमैन, सीबीएफसी से भी फिल्मों की सूची मंगवाई गई और उन फिल्मों के प्रदर्शन रोकने के लिए कदम उठाए गए। इसकी भी जांच की गई कि कैसे इन फिल्मों को सेंसर बोर्ड की अनुमति न मिलने दी जाए।''

किशोर कुमार ही ऐसे प्रख्यात फिल्म अभिनेता नहीं थे, जिन्हें इस प्रकार की सेंसरशिप का सामना करना पड़ा हो। उसी समय में दो और भी बड़े कलाकार दिलीप कुमार और देवआनंद थे जिनसे कहा गया कि वे टेलीविजन पर इमर्जेंसी का प्रचार करने के लिए आएं। हाल ही में देव आनंद ने अपनी प्रकाशित आत्मकथा ''रोमांसिग विद लाइफ'' में इन घटनाओं का स्मरण

> ***पिछले कुछ दिनों में, हमने पक्षपात नियुक्तियों के जरिए चुनाव आयोग के राजनीतिकरण प्रयास को देखा है। सीबीआई राजनैतिक हथियार बन गया है। हाल ही में संसद ने अधिकृत और अनधिकृत फोन टैपिंग दोनों पर अपनी चिंता प्रकट की है। अब कांग्रेस पार्टी 'नेशनल सेंसर' बन गई है कि हमें किस प्रकार के मनोरंजन को देखना है! मुझे उम्मीद है कि इस दुर्बुद्धि की गति आगे बढ़ती न रहे।***

किया हैः ''जब दिलीप कुमार भी इमर्जेंसी का प्रचार करने के लिए टीवी सेंटर में जाने से हिचकिचाए थे तभी मैंने जोरदार और जबदस्त ढंग से इस सुझाव का विरोध किया था, जिसके परिणामस्वरूप टेलीविजन पर मेरी सभी फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया; इतना ही नहीं, बल्कि किशोर कुमार के साथ–साथ, जिन लोगों ने भी प्रचार कार्यक्रम में भाग लेने और गाने से इंकार कर दिया था, उनके साथ ही यह हिदायत दी गई कि मेरे नाम का भी कहीं उल्लेख अथवा संदर्भ किसी भी सरकारी मीडिया में दिया न जाए। मेरी आत्मा ने इस तानाशाही कार्रवाई का विरोध किया और मैंने दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री से मुलाकात के लिए 'अपाइंटमेंट' ली। उन्होंने बहुत विनम्र ढंग से बात की और मेरे आने का कारण समझ कर खुद ही कहा कि आप सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने पूछा– 'आपकी समस्या क्या है?'

मैंने कहा– 'मैं दुःखी होकर आपसे जवाब चाहता हूं।'

'किसलिए'

''हमारे देश के कामकाज की हालत देखकर।''

''आपका मतलब क्या है?''

''क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं या पुलिस राज्य में?''

''लोकतंत्र में।''

तो मुझे ऐसा संदेश क्यों भेजा गया है? टीवी पर आकर इमर्जेंसी का प्रचार करूं?''

''क्या सत्तारूढ़ सरकार के लिए प्रचार करना अच्छी बात नहीं है?''

''मजबूर होकर?''

''नहीं, आपकी अपनी मर्जी से।''

''सरकार कैसे किसी की 'इच्छा' पर 'अपनी मर्जी' का दबाव डाल सकती है, जबकि 'इच्छा' उस बात के खिलाफ हो?''

''मत करिए, यदि आप नहीं चाहते हैं''

उन्होंने कुछ रूककर सोच कर कहा।

''ठीक इसी वजह से मैंने आपसे मुलाकात की कि सरकार को बता सकूं कि किसी की आत्मा के खिलाफ मजबूर न किया जाए।''

''मैं फिर कहता हूं– मत करिए।''

मैंने कहा– 'धन्यवाद, मंत्री महोदय और हम सौहार्दपूर्वक एक दूसरे से विदा हो गए।

बम्बई में वापस आकर मैं नरगिस से मिला, जो गांधी परिवार के बहुत निकट सम्पर्क में थी, शायद एक पार्टी में मेरी मुलाकात उनसे हुई। नरगिस ने कहना शुरू किया कि आपसे जब टेलीविजन पर जाने के लिए कहा गया तो आपको सरकार के सर्कुलर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। मैंने नरगिस से कहा– ''मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं।'' उसने कहा– ''तुम बिना बात जिद्दी बन रहे हो।'' और बात वहीं खत्म हो गई। परन्तु, मैं जानता हूं कि मैं संजय गांधी की चौकड़ी में उनका कांटा बन गया था।'' (पृ. 255)

पिछले कुछ दिनों में, हमने पक्षपात नियुक्तियों के जरिए चुनाव आयोग के राजनीतिकरण प्रयास को देखा है। सीबीआई राजनैतिक हथियार बन गया है। हाल ही में संसद ने अधिकृत और अनधिकृत फोन टैपिंग दोनों पर अपनी चिंता प्रकट की है। अब कांग्रेस पार्टी 'नेशनल सेंसर' बन गई है कि हमें किस प्रकार के मनोरंजन को देखना है! मुझे उम्मीद है कि इस दुर्बुद्धि की गति आगे बढ़ती न रहे।

(लेखक राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं)

सौजन्य : दि इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी लेख का हिन्दी भावानुवाद।

दिल्ली

बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन

fc जली दरों में बीस फीसदी की कमी करने की मांग के साथ दिल्ली भाजपा ने जंतर–मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से भेंटकर अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने मांगों पर विचार करने के लिए 72 घंटे का समय मांगा है। इसके बाद मांग न मानी गई तो भाजपा सरकार के विरोध में आंदोलन और तेज कर देगी।

जंतर–मंतर पर एकत्रित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि बिजली कंपनियों ने आम जनता की जेब से एक हजार करोड़ रूपए मुनाफा कमाया है। बावजूद इसके सरकार से मिलकर घाटा दिखाया और बिजली दरें बढ़ाने की मांग की।

विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी बिजली कंपनियों के समर्थन में बिजली की दरें बढ़ाने के बयान देने लगी। हैरानी की बात है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने दरों में 20 फीसदी की कमी के संकेत दिए थे। लेकिन इसे चालाकी से ठुकरा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा जनता की जेब पर डाका डालने की कवायद में डीजल और पेट्रोल आदि के दाम बढ़ाने की चर्चा चल रही है। यदि केंद्र सरकार ने दामों में बढ़ोतरी की तो भाजपा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर देगी।

प्रदर्शन के बाद श्री गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो विजय कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रो ओमप्रकाश कोहली, मांगेराम गर्ग, राष्ट्रीय मंत्री आरती मेहरा, प्रदेश महामंत्री रमेश विधूडी और प्रवेश वर्मा आदि ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग के समर्थन में ज्ञापन दिया। ■

बेकाबू नक्सली और बौनी सरकार

'kkrk d|ekj

नक्सली हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पर हमले ने एक बार फिर यह साबित किया है कि स्थिति बेलगाम होती जा रही है और केंद्र सरकार असहाय स्थिति में पहुंच गई है। पिछले दिनों एक बड़े महाअभियान की घोषणा की गई। पूरे विपक्ष ने सरकार को समर्थन दिया। वह अभियान तो दिखा नहीं, परंतु दंतेवाड़ा में करीब 80 सुरक्षाकर्मियों की बर्बर हत्या कर दी गई। दिल्ली में फिर बैठकें शुरू हुईं। कुछ करने की योजनाएं बनने लगीं। तभी उसी इलाके में एक बस को निशाना बनाया गया। दर्जनों लोग शिकार बने, इनमें करीब डेढ़ दर्जन बेगुनाह नागरिक भी थे। इसके बाद तो गृह मंत्री नक्सलियों से 70 घंटे तक हिंसा रोकने की याचना करते हुए दिखे। लेकिन नक्सलियों की हिंसा जारी है। होना तो इसके विपरीत चाहिए था। केंद्र सरकार अपनी कार्रवाइयों से इतना दबाव बनाती कि नक्सली बातचीत के लिए हिंसा रोकने का प्रस्ताव करते। जाहिर है, यह पूरी स्थिति सामान्य नहीं है, बल्कि असाधारण है। इतने बड़े देश की आंतरिक सुरक्षा और सम्मान दांव पर लगे हैं। नक्सल प्रभावित बहुत से इलाकों में कोई सरकार ही नहीं है। वहां कई सरकारी कार्यालय बंद हैं। अधिकारी एवं कर्मचारी काम पर नहीं जा रहे। प्रशासन कहीं नहीं दिख रहा। ऐसे में, वहां विकास कार्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। व्यवस्था के लिए यह वाकई शर्मनाक स्थिति है।

सबसे विचित्र बात यह है कि पूरा विपक्ष और जनता सरकार के साथ है, परंतु सत्ताधारी दल आपस में बंटे हुए हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आधे मन से युद्ध कैसे जीता जा सकता है। उन्हीं की पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने सरकार की रणनीति पर प्रश्न उठाए हैं। साफ है, कांग्रेस पार्टी और सरकार एकजुट होकर एक मन से काम नहीं कर रहीं। एक व्यर्थ की बहस की जा रही है कि नक्सल हिंसा को सख्ती से दबाने को प्राथमिकता दी जाए या उस इलाके की गरीबी व पिछड़ेपन दूर किए जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरा लाल गलियारा ही गरीब इलाका है। विशेषकर आदिवासियों को लगता है कि उनकी आजीविका के परंपरागत साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो रहा है और उनकी गरीबी के कारण ही उनका शोषण व अपमान हुआ है। कई स्थानों पर उनकी महिलाओं का यौन शोषण भी हुआ है। अविवाहित माताओं की समस्या पैदा हुई है। बहरहाल, इससे कौन इनकार कर सकता है कि नक्सलवाद के पनपने में गरीबी एक बड़ी वजह है। परंतु आज की स्थिति में हिंसा को कुचलने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। यानी हमें दोनों मोर्चों पर लडना होगा।

हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक वर्ष में भारत के 100 अमीर परिवारों की सपंत्ति छह लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपये हो गई है। दूसरी ओर, एक सचाई यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में गरीबों की संख्या चार करोड़, 40 लाख बढ़ गई। करीब 40 करोड़ लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और इनमें से भी 25 करोड़ लोग तो लगभग भुखमरी के कगार पर महज जीवन का बोझ ढो रहे हैं। इन सबका कारण सरकार की गरीब विरोधी और अमीर समर्थक नीतियां हैं। यदि महात्मा गांधी के अंत्योदय के विचार को अमल में लाया गया होता, तो आज देश में भयंकर गरीबी न होती। ठीक है, देश का विकास हुआ है, परंतु सामाजिक न्याय नहीं हुआ। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में समृद्धि सिमटकर रह गई है। 25 करोड़ भूखे लोग आखिर कब तक इंतजार करते रहेंगे, उन्हीं में से कुछ अपराध के रास्ते पर जा रहे हैं। उन्हें ही नक्सली गुमराह करके हिंसा के रास्ते पर ले जा रहे हैं। नक्सली हिंसा एक खुला युद्ध है। भारत की प्रभुसत्ता को यह एक गंभीर चुनौती है। इसलिए इसका दमन करने के लिए एक युद्ध के पूरे साधन झोंके जाने चाहिए। सेना का उपयोग यदि इस युद्ध में नहीं किया जाएगा, तो फिर कब किया जाएगा?

> ***इससे कौन इनकार कर सकता है कि नक्सलवाद के पनपने में गरीबी एक बड़ी वजह है। परंतु आज की स्थिति में हिंसा को कुचलने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। यानी हमें दोनों मोर्चों पर लडना होगा।***

योजना आयोग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की चुनौती विषय पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नक्सलवाद के पनपने का एक बड़ा कारण उस इलाके की उपेक्षा है। रिपोर्ट में एक जगह लिखा है, सरकार को गरीबों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए नक्सलवाद की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। पर अब जब यह चेतावनी दी गई है, तो युद्ध स्तर पर विकास कार्य किए जाने चाहिए।

नक्सली हिंसा को खत्म करने का काम अधूरा रहेगा, यदि उसी गति से गरीबी व पिछड़ेपन को दूर करने का काम नहीं किया जाता। दोनों काम जरूरी हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के गरीबों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि अब सरकार उनकी उपेक्षा नहीं करेगी।

प्रधानमंत्री के अधीन एक अलग अंत्योदय विभाग खोला जाए। गरीब एवं अति गरीब की अलग व्याख्या की जाए। सरकार और संसद एक सकंल्प लें कि अति गरीबी को एक तय समय में समाप्त किया जाएगा। सरकार अपने बजट से और अमीर लोगों पर विशेष कर लगाकर कुछ लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था करे। पूरे देश की सरकारी व अर्द्ध सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में इन गरीब परिवारों के बेरोजगार बच्चों को नियुक्त करें। सरकार चाहे, तो थोड़े समय में लाखों युवकों को रोजगार दिया जा सकता है।

यह सकंल्प लिया जाए कि जब तक इन अति गरीबों की आजीविका का प्रबंध नहीं होता, तब तक विधायक, सांसद व सरकारी अधिकारियों के वेतन भत्तों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। सरकार को तत्काल ऐसे कदम उठाने की जरूरत है, जिनसे गरीबों की झोंपड़ी में यह संदेश पहुंच जाए कि यह सरकार उनकी अति गरीबी जरूर दूर करेगी।

आज देश की स्थिति चिंताजनक है। पूरे विश्व में भारत की साख को धक्का लग रहा है। चीन की सीमा के साथ एक सड़क बन रही थी। सीमा पार से धमकी मिली और सड़क का काम रोक दिया गया। आज तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पिछले दिनों चीन में किसी ने दूध में मिलावट की, जिसके कारण दो बच्चे मर गए, और कुछ बीमार हो गए। अपराधी पकड़े गए और आठ महीने में दो अपराधियों को फांसी दे दी गई। भारत में अफजल गुरु को फांसी देने में इस सरकार का दम निकल रहा है। यह कायरता देश को कहां ले जाएगी? ■

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

मोदी ने रखी महात्मा मंदिर की नींव

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में बनने वाले महात्मा मंदिर की 7 जून को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नींव रखी। इसमें देश ही नहीं दुनियाभर से लाए गए माटी व जल उड़ेला गया। इस मौके पर दोपहर 12.39 बजे टाइम कैप्सूल (काल संदूक) भी मंदिर की नींव में रखी गई। 90 किलो वजनी व छह फीट लंबी स्टेनलेस स्टील की बनी काल संदूक में स्मृति मंजूषा की स्थापना की गई।

बताया जाता है कि संदूक की बनावट ऐसी है कि आगामी एक हजार वर्षों तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। संदूक में 29 सीडी व 100 फीट लंबे व तीन फीट चौड़े स्पेशल ट्रीटमेंट युक्त प्लास्टिक मिश्रित विशेष कागज पर यादगार विवरण लिखकर रखे गए हैं। मंदिर की नींव रखते वक्त मोदी ने कहा कि इस मंदिर के निर्माण में गुजरात के गांव, शहरों के अलावा देश के अन्य राज्यों व विदेश की धरती की माटी की महक व जल का अभिषेक हुआ है।

यह कोई सामान्य इमारत नहीं है। इससे राज्य की साढ़े पांच करोड़ जनता की ऊर्जा व भावना जुड़ी है। यह भवन देश व दुनिया के लिए विश्वशांति के विचारों का प्रेरणास्रोत साबित होगा। मोदी ने कहा कि महात्मा मंदिर के निर्माण का संकल्प कोई ईंट, चूना व पत्थर की इमारत बनाने का सपना नहीं है।

गांधीबापू जैसे महान विभूतियों के लिए ऐसे स्मारक की जरुरत होती ही नहीं और ऐसे युगपुरुष का विराट जीवनदर्शन इस इमारत में करवाना असंभव प्रतीत होता है। इतना जरूर है कि यह महात्मा मंदिर अपने जैसे आम लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र जरूर बनेगा। शासकों व प्रशासकों सभी का ध्यान मंदिर पर पड़े, ऐसे स्थल का चयन किया गया है। इससे प्रेरणा लेकर बापू के सपनों को साकार करने की शक्ति उन्हें मिलती रहे। ■

पश्चिम बंगाल में परिवर्तन

cychj i¡t

iश्चिम बंगाल के स्थानीय निकायों के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत को कई राजनीतिक समीक्षकों ने युगांतकारी परिवर्तन की संज्ञा दी है। यह महज संयोग है कि जिस दिन समाचार पत्रों में तृणमूल की विजय की खबर छपी, उसी दिन गुजरात के साणंद से टाटा की लखटकिया कार नैनो के सड़क पर उतरने की भी चर्चा रही। गुजरात में नैनो का निर्माण जहां प्रदेश की श्रम संस्कृति, राजनीतिक वातावरण और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को रेखांकित करता है वहीं सिंगुर की कड़वी यादों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के अवसान की कहानी भी कहता है।

पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम मार्क्सवादी कामरेडों के लिए बड़ा झटका है, जिन्हें हिंसा के बल पर विरोधी सुरों को दबाने की विचारधारा विरासत में मिली है। सिंगुर और नंदीग्राम में जबरन उद्योगीकरण के खिलाफ जब स्थानीय ग्रामीण उठ खड़े हुए तो इन्हीं हिंसक कामरेडों के बल पर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों के साथ दीदी के आ मिलने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई और अंततः टाटा को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए विवश होना पड़ा, किंतु स्थानीय निकाय के चुनावों में तृणमूल की जीत का निहितार्थ क्या है?

क्या ममता की इस जीत से माओवादी अराजकता को बल नहीं मिलेगा? क्या माओवादी दर्शन व कार्यशैली मार्क्सवादी विचारधारा का अतिरेक रूप नहीं है? क्या राजनीतिक विरोधियों को शत्रु मानना और हिंसा के बल पर उनका दमन मार्क्स और माओवादी चिंतन का केंद्र बिंदु नहीं है? नंदीग्राम और सिंगुर के ग्रामीण विरोध में माओवादियों की भी सक्रिय भूमिका रही है।

माओवाद के खिलाफ दीदी का मौन महज संयोग नहीं है। क्या दीदी ने मार्क्सवादियों की हिंसा का मुकाबला करने के लिए माओवादियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष साथ नहीं लिया है? वास्तव में माओ–मार्क्स एक ही थैली के चट्टे–बट्टे हैं। दोनों का मूल चिंतन और उद्देश्य एक है, केवल कार्यशैली भिन्न है। माओवादियों के सफाए के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम का दीदी ने कभी खुलकर समर्थन नहीं किया। स्थानीय निकायों के चुनाव से ठीक पहले ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस माओवादियों की भेंट चढ़ गई, जिसमें सैंकड़ों बेकसूरों की जानें गईं, किंतु ममता बनर्जी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी–मार्क्सवादियों को ही कठघरे में खड़ा करती रहीं।

> ***पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम मार्क्सवादी कामरेडों के लिए बड़ा झटका है, जिन्हें हिंसा के बल पर विरोधी सुरों को दबाने की विचारधारा विरासत में मिली है।***

भूमि सुधार एजेंडे जैसे लोकलुभावन नारों की बदौलत मार्क्सवादी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुए। किसानों और बटाईदारों को तब मार्क्सवादियों का यह तथाकथित जनहितैषी चेहरा बहुत लुभाता था, किंतु जल्दी ही हिंसक मार्क्सवादियों की कलई खुल गई।

उनके बीच मार्क्सवादी कैडर नवसामंत के रूप में आ बैठा। शहरी क्षेत्रों में मार्क्सवादी श्रमिक संघों की तालाबंदी और हड़ताल संस्कृति के कारण उद्योग–धंधों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा।

स्थिति ऐसी हो गई कि स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकारना पड़ा कि पूंजी और उद्योग–धंधों को खदेड़ भगाना बड़ी भूल थी। राज्य में निवेश के लिए उन्हें देश–देश भटकना पड़ा, किंतु राज्य की श्रम–संस्कृति से परिचित निवेशक आकर्षित नहीं हुए। वहीं अन्य राज्यों, खासकर गुजरात में बड़े पैमाने पर देशी–विदेशी निवेश हुए।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण अंचलों में मार्क्सवादी विचारधारा के नाम पर अराजकता गहरे रूप में पैबस्त हो चुकी है। इसलिए जब रतन टाटा ने उद्योग लगाने की घोषणा की तो पारंपरिक पूंजीवाद विरोधी सुर में स्थानीय जन विरोध स्वाभाविक था। ग्रामीणों के विरोध को दबाने के लिए मार्क्सवादियों ने

हिंसा का सहारा लिया। माकपा–तृणमूल के खूनी संघर्ष के परिणामस्वरूप टाटा को अपना कारखाना समेटना पड़ा।

वहीं माकपाइयों ने पिछले तीन दशकों से हिंसा के बल पर आम जनमानस में जो दबदबा बना रखा था उस पर दीदी काबिज हो गईं। हिंसक कामरेडों और समर्पित श्रमिक संघों के अलावा मार्क्सवादियों ने अपना राजपाट अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस्लामी जिहादियों को भी भरपूर संरक्षण दिया। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए पश्चिम बंगाल के द्वार खुले रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप यदि मार्क्सवादियों का वोट बैंक बढ़ा तो पश्चिम बंगाल के जनसांख्यिक स्वरूप में भी तेजी से बदलाव आया।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इस्लामी उत्पीड़न को प्रकाशित करने के अपराध में तस्लीमा नसरीन को उनके देश से निर्वासित किया गया तो जिहादियों के दबाव में उन्हें पश्चिम बंगाल से भी खदेड़ भगाया गया। ममता बनर्जी जिहादी इस्लामी तत्वों को प्रोत्साहित करने में वस्तुतः मार्क्सवादियों से आगे ही हैं।

पश्चिम बंगाल आज दोराहे पर खड़ा है। मार्क्सवाद की पैशाचिक पकड़ से निजात दिलाने के लिए जिस ममता बनर्जी ने परिवर्तन का बिगुल फूंका था, क्या उसके समय में भी हिंसा और अराजकता को ही प्रश्रय मिलेगा? ग्रामीण अंचल ही नहीं, स्वयं कोलकाता में माकपाई गुंडे अपने विरोधियों को सरेआम काट डालते हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है।

तृणमूल की जीत पर एक समाचार पत्र की प्रतिक्रिया बहुत सटीक है, अब दीदीगीरी का समय है। पिछले तीस साल से माकपाई दादागीरी के बल पर ही मार्क्सवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हावी रहा है। क्या दीदी के दौर में कुछ बदलाव आएगा? ममता बनर्जी संख्या बल में माकपाइयों से पीछे नहीं रहीं। पुलिस और प्रशासन के अब साथ नहीं रहने से माकपाइयों की दादागीरी जो स्थान रिक्त करेगी, कहीं उस पर दीदीगीरी तो हावी नहीं हो जाएगी? आज पश्चिम बंगाल के सामने बड़े सवाल हैं। क्या दीदी राज्य के उद्योगीकरण के लिए उपयुक्त माहौल बना पाएंगी? क्या छोटे किसानों–बटाईदारों को दीदी यह भरोसा दिला पाएंगी कि उद्योगीकरण में ही उनका भविष्य है? क्या वह श्रमिक संगठनों पर नकेल डाल उन्हें यह नसीहत दे पाएंगी कि बेहतर औद्योगिक वातावरण के लिए अनुशासन और श्रम ज्यादा जरूरी है और उद्योगपति उनके खून चुसवा नहीं हैं?

> ***पिछले तीस साल से माकपाई दादागीरी के बल पर ही मार्क्सवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हावी रहा है। क्या दीदी के दौर में कुछ बदलाव आएगा? ममता बनर्जी संख्या बल में माकपाइयों से पीछे नहीं रहीं। पुलिस और प्रशासन के अब साथ नहीं रहने से माकपाइयों की दादागीरी जो स्थान रिक्त करेगी, कहीं उस पर दीदीगीरी तो हावी नहीं हो जाएगी? आज पश्चिम बंगाल के सामने बड़े सवाल हैं।***

सभ्य समाज और बहुलतावादी संस्कृति की विरोधी मार्क्सवादी विचारधारा और कार्यशैली का दाह संस्कार ही पश्चिम बंगाल को त्राण दिला सकता है। यह भरोसा तृणमूल कांग्रेस को देना होगा।

क्या यह संभव है? नहीं तो ममता उसी विषबेल को सींचेंगी, जिसे दशकों मार्क्सवादियों ने निरपराधों के रक्त से सींचा है। तृणमूल की जीत युगांतकारी तभी साबित होगी, जब दीदी इस बात का मंथन करेंगी कि वस्तुतः सिंगुर में उन्हें जो जीत हासिल हुई थी उसमें राज्य और राज्य के लोगों की हार भी छिपी थी।

गुजरात के साणंद में खुशहाली और सिंगुर में बदहाली, गुजरात में निवेश और पश्चिम बंगाल से पूंजी व प्रतिभा का पलायन क्यों? इसका विश्लेषण न केवल राज्य के हित में है, बल्कि इसी में तृणमूल का भविष्य भी छिपा है।■

(लेखक भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

आर. मोहन बने अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन गड़करी जी ने श्री आर० मोहन को अंडमान निकोबार द्वीपसमूह का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

कमल संदेश

राष्ट्रनायक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी

& dnkjukFk lkguh

Mk- श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, किन्तु उनके विषय में लिखने में मैं कठिनाई अनुभव करता हूं। वह ऐसे महान देशभक्त थे जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखण्डता की बलिवेदी पर अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उनके बारे में अपनी बात कहां से शुरू करूं? उनका जीवन इतनी उपलब्धियों से भरा है कि कुछ शब्दों में उसे समा पाना संभव नहीं। वह एक साथ ही शिक्षाविद्, सांसद, राजनीतिज्ञ, मानवतावादी और अट्टर देशभक्त थे। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व को किसी एक बंधे–बंधाए चौखटे में बैठा पाना संभव नहीं। भारत के इस महान् और अनन्य सपूत के बारे में चाहे जितना भी लिखा जाये, उनके व्यक्तित्व को निरूपित करने की दृष्टि से अपर्याप्त ही सिद्ध होगा। यह दुर्भाग्य ही रहा कि सरकारी स्तर पर कुछ कांग्रेसी नेताओं का जीवन चरित्र लिखाने के लिए तो रूपया पानी की तरह बहाया गया, किन्तु भावी पीढ़ियों के लिए डॉ. मुखर्जी की जीवनी को लेखबद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सत्ता और सरकार द्वारा की गयी उपेक्षा के बावजूद डॉ. मुखर्जी के योगदान को राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा।

डॉ. मुखर्जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को मैं संक्षेप में स्पर्श करूंगा और उनके विराट व्यक्तित्व की कुछ ऊंचाइयों की झांकी प्रस्तुत करूंगा। अपने महान पिता सर आशुतोष मुखर्जी के जीवन का अनुसरण करते हुए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की और शीघ्र ही एक प्रख्यात शिक्षाविद् और प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित हो गये। उनकी इस उपलब्धि को मान्यता उस समय प्राप्त हुई, जब 1934 में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। इस पद पर नियुक्त होने वालों में वह सब से कम आयु के थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर से बंगला भाषा में दीक्षांत भाषण दिलाने का गौरव भी डॉ. मुखर्जी को ही प्राप्त है। यह घटना औपनिवेशिक शासकों की भाषा अंग्रेजी पर एक भारतीय भाषा की विजय को लक्षित करती है। यह था उनका शिक्षाविद् व्यक्तित्व।

डॉ. मुखर्जी के भीतर की संवेदनशील मानवता एक बार फिर अगले ही वर्ष उस समय उभर कर उजागर हुई, जब बंगाल इतिहास के सबसे विकराल दुर्भिक्ष की चपेट में आ गया। इस दुर्भिक्ष का कारण प्रकृति नहीं ब्रिटिश सरकार की नीतियां थीं। 1943 के दुर्भिक्ष में डॉ. मुखर्जी का राहत कार्यों संबंधी वह संगठन कौशल उजागर हुआ, जिसके कारण लाखों के प्राण बचे।

इसके बाद तो डॉ. मुखर्जी निरंतर आगे ही बढ़ते गये। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को बंगाल में मनमानी करने की खुली छूट दे दिये जाने के फैसले से डॉ. मुखर्जी को बहुत पीड़ा हुई (250 के सदन में हिन्दुओं को केवल 80 स्थान दिये गये थे)। कांग्रेस ने यदि फजलुलहक की कृषक पार्टी से गठबंधन कर लिया होता तो मुस्लिम लीग को सत्ता से बाहर रखा जा सकता था। कांग्रेस ने किन्तु ऐसा करने से मना कर दिया और लीग ने सत्ता पाते ही उस शैक्षिक व्यवस्था की जड़ पर आघात करना शुरू कर दिया जिसे सर आशुतोष मुखर्जी और उनके सुपुत्र ने कड़े परिश्रम से खड़ा किया था।

डॉ. मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह भांप लिया कि यदि मुस्लिम लीग को निंरकुश रहने दिया गया तो उससे बंगाल और हिन्दू हितों को भारी क्षति होगी। उन्होंने लीगी सरकार को तख्ता पलटने का निश्चय किया और बहुत से गैर कांग्रेसी हिन्दुओं की मदद से कृषक प्रजा पार्टी में मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया। इस गठबंधन सरकार के नेता थे फजलुलहक और डॉ. मुखर्जी उसके वित्तमंत्री। ऐसा था उनका सांसद के रूप में व्यक्तित्व।

लगभग इसी समय डॉ. मुखर्जी वीर सावरकर के प्रखर राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिन्दू महासभा में सम्मिलित हो गये। महात्मा गांधी ने इस घटना पर प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी करते हुए कहा था ''मालवीय जी के बाद हिन्दुओं को किसी नेतृत्व की

जरूरत थी।''

डॉ. मुखर्जी ने गांधी जी के, जिनसे वह इलाहाबाद में मिले थे, परामर्श पर 'भारत छोड़ो आंदोलन' में भाग नहीं लिया था (महात्मा जी चाहते थे कि कुछ नेता देश का नेतृत्व करने के लिए जेल से बाहर रहें।) क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद उन्होंने नेताओं को बंदी बनाने के तीन दिन बाद 12 अगस्त को गवर्नर जनरल लार्ड लिन्लिथगो को लिखे गये अपने ऐतिहासिक पत्र में लिखा था कि 'कांग्रेस की मांग, जैसी कि उनके गत प्रस्ताव में लिखी गयी है, वास्तव में संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय मांग है। अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों का समर्थन करने के बजाय उन्होंने बंगाल मंत्रिमंडल से त्यागपत्र की धमकी देते हुए लिखा, ''मैंने बंगाल के गवर्नर को सूचित कर दिया है कि ब्रिटिश सरकार तथा उसके प्रतिनिधियों द्वारा वर्तमान में अपनायी नीति को नापसंद करता हूं। मैं आपसे यह अपील इस आशा से कर रहा हूं कि आप झूठी प्रतिष्ठा को आड़े नहीं आने देंगे, अपितु वर्तमान 'डैडलाक' को समाप्त करने हेतु अविलम्ब पग उठाएंगे। यदि आप ऐसा अनुभव करते हों कि ब्रिटिश सरकार को इसे समाप्त करने हेतु कुछ करना नहीं चाहिए और जारी रहने दिया जाये, तो मुझे अपने गवर्नर को सखेद कहना होगा कि वह मुझे मेरे मंत्रिपद के दायित्व से मुक्त कर दें ताकि समझौते के लिए माहौल बनाने हेतु जनभावना तैयार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकूं।' ऐसा था उनका राजनीतिक व्यक्तित्व।

अंततः उन्होंने थोड़े समय बाद प्रांतीय सरकार से त्यागपत्र दे दिया। इसी समय का डॉ. मुखर्जी के जीवन में एक अविस्मरणीय प्रसंग है मिदनापुर में आया भारी समुद्री तुफान जिसने चहुं ओर तबाही मचा दी। ऐसी विकट परिस्थिति में लोगों को राहत पहुंचाना तो दूर, जिला मजिस्ट्रेट श्री एन.एम. खान के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने उन्हें और परेशान किया। बंगाल के गवर्नर मिदनापुर की जनता से इसलिए नाराज थे कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़चढ़ कर भाग लिया था और उन्हें सबक सिखाने का इस्से अच्छा कोई दूसरा अवसर नहीं मिल सकता था। उनके आदेश पर जिला प्रशासन ने अत्याचार का चहुं ओर आतंक पैदा कर दिया। भारी संख्या में मकान नष्ट कर दिये, महिलाओं का अपमान किया, पशुओं की हत्या की तथा असंख्य लोगों को अकारण बंदी बना लिया।

डॉ. मुखर्जी तुरंत मिदनापुर जा पहुंचे और जिन्होंने श्री एन.एम. खान को समझाने का यत्न किया। जिला मजिस्ट्रेट ने न केवल उनकी सलाह मानने से इंकार किया, अपितु स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे सहायता कार्य भी बंद करवा दिये। गवर्नर तथा उनके कारिंदों के इस अमानवीय व्यवहार से क्रुद्ध हो डॉ. मुखर्जी ने 16 नवम्बर 1942 को बंगाल प्रांतीय सरकार से अपना त्यागपत्र दे दिया। अपने त्यागपत्र में उन्होंने कहा कि ''मेरे त्यागपत्र देने के दो कारण हैं। पहला, जैसा कि 9 अगस्त के तुरंत बाद मैंने आपको अवगत करा दिया था कि मैं ब्रिटिश सरकार की देश की वर्तमान राजनीति परिस्थिति संबंधी नीति को नापसंद करता हूं... दूसरा कारण... आप का मंत्री के काम में, मेरे विचार से, अनावश्यक हस्तक्षेप जिसके कारण तथाकथित प्रांतीय स्वायत्तता एक अर्थहीन मजाक बन कर रह गयी है।''

डॉ. मुखर्जी के भीतर की संवेदनशील मानवता एक बार फिर अगले ही वर्ष उस समय उभर कर उजागर हुई, जब बंगाल इतिहास के सबसे विकराल दुर्भिक्ष की चपेट में आ गया। इस दुर्भिक्ष का कारण प्रकृति नहीं ब्रिटिश सरकार की नीतियां थीं। 1943 के दुर्भिक्ष में डॉ. मुखर्जी का राहत कार्यों संबंधी वह संगठन कौशल उजागर हुआ, जिसके कारण लाखों के प्राण बचे। अब तक डॉ. मुखर्जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर चुके थे और पूरा देश उनका सम्मान करने लगा था। उनकी अपील पर जनता ने उदार मन से राहत सामग्री प्रदान कर यह सिद्ध कर दिया कि उनके मन में मानवतावादी डॉ. मुखर्जी के लिए कितना आदर है।

यह था उनका मानवतावादी व्यक्तित्व।

जब देश का विभाजन अनिवार्य जैसा हो गया तब डॉ. मुखर्जी ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिन्दुओं के हितों की उपेक्षा न हो। उन्होंने बंगाल के विभाजन के लिए जोरदार प्रयास किया, जिससे मुस्लिम लीग का पूरे का पूरा प्रांत हड़पने का मंसूबा सफल नहीं हो सका। उनके प्रयत्नों से हिन्दुओं के हितों की रक्षा तो हुई ही, कलकत्ता बंदरगाह भी

डॉ. मुखर्जी ने अपने उद्‌घाटन भाषण में कहा था आज भारतीय जनसंघ के रूप में एक नए अखिल भारतीय राजनीतिक दल का उदय हो रहा है जो देश का प्रमुख प्रतिपक्षी दल होगा... यद्यपि भारत अद्वितीय विविधताओं का देश है, तो भी इस बात की परम आवश्यकता है कि मातृभूमि के प्रति गहरी भक्ति भावना और निष्ठा की चेतना में से विकसित होने वाला बंधुत्व भाव और विवेक समस्त देशवासियों को एक सूत्र में बांधे...''

पूर्वी पाकिस्तान को सौंपे जाने से बच गया।

राष्ट्र के हितों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ही उन्होंने अंततः उस राष्ट्रीय सरकार से त्यागपत्र दे डाला जिसमें वह 1947 में महात्मा गांधी जी के निमंत्रण पर शामिल हुए थे। डॉ. मुखर्जी ने अनुभव किया कि श्री नेहरू पाकिस्तान सरकार के प्रति बहुत ज्यादा नरम रवैया रखे हुए हैं और उनके पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में छूट गए हिन्दुओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का कतई साहस नहीं है। नेहरू–लियाकत अली समझौता निरर्थक था क्योंकि इसमें भारत सरकार पर तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली गई थी, पर पाकिस्तान की ओर से ऐसे ही आचरण की कोई पहल नहीं की गई थी।

नेहरू मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देने के अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए डॉ. मुखर्जी ने संसद में प्रभावशाली भाषण में कहा था, ''पाकिस्तान के प्रति हमारा जो रवैया रहा है, उससे मैं कभी भी प्रसन्न नहीं हो सका। हमारा रवैया कमजोरी भरा, रूक–रूक कर चलने वाला और बेमेल रहा है। पाकिस्तान ने हमारे भलेपन या निष्क्रियता को हमारी कमजोरी समझा है। परिणामतः पाकिस्तान उद्दण्ड होता चला गया और हमें और ज्यादा कष्ट उठाने पड़े। यही नहीं, अपने देशवासियों की नजर में भी हमारी प्रतिष्ठा कम हुई है। विडम्बना देखिए कि उनके पैगम्बरी शब्द आज भी उतने ही सच हैं– पाकिस्तान के प्रति हमारी सरकारी नीति पहले के समान ही ''कमजोर, रूक–रूक कर चलने वाली और बेमेल है'' और हम इस 'कमजोरी' की कीमत लगातार चुकाते चले जा रहे हैं।

मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देने के बाद डॉ. मुखर्जी ने संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का निश्चय किया। लेकिन वह जल्दी ही समझ गये कि प्रतिपक्ष की प्रभावी भूमिका निभानके लिए संगठित पार्टी बनाना जरूरी है। इस उद्देश्य से वह प्रतिपक्ष के राजनीतिक मंच के गठन की संभावनाओं को तलाशने की ओर अग्रसर हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी किसी सशक्त व्यक्तित्व के नेतृत्व में राजनीतिक दल आरंभ किये जाने की आवश्यकता अनुभव कर रहा था।

डॉ. मुखर्जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही जिस बात की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे, वह समान थी और इसी में से अक्तूबर 1951 में 'भारतीय जनसंघ' का उद्भव हुआ, जिसके संस्थापक अध्यक्ष डॉ. मुखर्जी थे।

डॉ. मुखर्जी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था आज भारतीय जनसंघ के रूप में एक नए अखिल भारतीय राजनीतिक दल का उदय हो रहा है जो देश का प्रमुख प्रतिपक्षी दल होगा. .. यद्यपि भारत अद्वितीय विविधताओं का देश है, तो भी इस बात की परम आवश्यकता है कि मातृभूमि के प्रति गहरी भक्ति भावना और निष्ठा की चेतना में से विकसित होने वाला बंधुत्व भाव और विवेक समस्त देशवासियों को एक सूत्र में बांधे...'' मातृभूमि के प्रति निष्ठा और समाज की विरासत का गर्व ही वे तत्व हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए निरंतर प्रेरणा देते चले आ रहे हैं। डॉ. मुखर्जी ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया वे अनुशासनप्रिय व्यक्ति थे। वे स्वयं भी अनुशासित रहते और पार्टी में भी अनुशासन की प्रमुखता हो इसके लिए उन्होंने कठोर से कठोर निर्णय भी लिये। ■

(लेखक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं)

मणिपुर की समस्या पर हस्तक्षेप करें प्रधानमंत्री : भाजपा

मणिपुर की स्थिति हर दिन गंभीर से गंभीरतर हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग–39 पिछले 57 दिनों से पूरी तरह से ठप्प है। मणिपुर में जीवनावश्यक वस्तुओं की किल्लत बनी हुई है और उपभोक्ता वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग–39 को खोले जाने के लिए न तो कोई कोशिश कर रही है और न ही वस्तुओं की आपूर्ति की कोई व्यवस्था कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को स्थिति का जायजा लेकर तुरंत इसे संभालने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले मास मणिपुर जाकर स्थिति का जायजा लिया था और उसके बाद गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम से मिलकर इस बारे में चर्चा की थी। राष्ट्रीय राजमार्ग–39 नागालैंड की सीमा से गुजरता है जहां उसे अवरूद्ध किया गया है। नागालैंड में कांग्रेस की सरकार है, जो रास्ता खोले जाने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करके इस राजमार्ग को तुरंत खुलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-IM) के नेता मुइवा अब मणिपुर के सीमावर्ती उकरोल जिले की सीमा पर डेरा जमाए हुए हैं। मणिपुर में उनकी उपस्थिति से भारत सरकार की नीयत पर लगातार आशंका बनी हुई है। प्रधानमंत्री को इस विषय में भी मणिपुर के लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। ■

इतिहास का एक काला अध्याय

& d-d- 'kek

X त 27 वर्ष पूर्व इस देश में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाये गये आपातकाल की उस भयावह काल रात्रि की घटना सदैव ही याद की जायेगी।

यह घटनाक्रम हमारे देश में 27 वर्ष पूर्व कांग्रेस दल की नेता और उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपातकाल के रूप में एक काला अध्याय जोड़ा। यह विडम्बना ही है कि यह सब एक ऐसे देश में हुआ जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।

सभी कार्यकर्ताओं ने विशेषकर उस समय के युवा कार्यकर्ताओं ने आपातकाल की उस तपिश को झेला। वे आपातकाल की भयावह साया से और आपातकाल की दमनकारी नीतियों से परिचित ही नहीं पीड़ित भी रहे हैं। यह प्रश्न आज भी ज्वलंत है कि आखिर आपातकाल क्यों लगा? उस समय देश की राजनीतिक स्थिति क्या थी और आपातकाल का षड्यंत्र क्यों रचा गया? इसे आज हमें अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, ताकि भविष्य में यह इतिहास दुहराया न जाये।

कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस आपातकाल की चर्चा खुले रूप में करनी नहीं चाही। उसने कभी आम जनता के सामने यह स्पष्ट नहीं किया कि आपातकाल क्यों लगाना पड़ा। उस समय जो लोग बेवजह प्रताड़ित किये गये, अनेक घर बर्बाद हो गये, उसके लिए आम जनता से कांग्रेस सरकार ने कभी माफी नहीं मांगी और न ही अपनी भूल स्वीकार की। यह कैसी विडम्बना है। सही मायने में जिन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा हुई और जितने आसानी से उसे लागू कर दिया गया, वह हर नागरिक के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। इसे लोकतंत्र के लिए मिला सबसे बड़ा सबक समझना चाहिए।

उस समय देश की आर्थिक स्थिति नियंत्रण में थी। कानून व्यवस्था नियंत्रण में थी। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को कोई खतरा नहीं था। फिर भी आपातकाल की घोषणा की गयी।

> ***एक तानाशाह महिला की महत्त्वाकांक्षा ने सारे देश को हथकड़ियों में जकड़ दिया। कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी। उस समय इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद हाथ से निकलते देख आपातकाल लागू करने का फैसला अचानक कर डाला। उन्होंने इस बारे में अपने मंत्रिमंडल, पूरी सरकार और सरकारी तंत्र को अंधेरे में रखा और चंद लोगों की सलाह पर ही अपने निजी फैसले को कानूनी जामा पहनाने के लिए दबाव डाल कर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करा दी।***

आपातकाल लगाने का असली कारण तो यह था कि इंदिरा गांधी सारे आंदोलन से तो लड़ सकती थीं, लेकिन सत्य और न्याय से नहीं लड़ सकती थी। और सच वह था जो 12 जून, 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। राज नारायण की चुनाव याचिका पर न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया–

1. इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है।
2. वे 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकतीं।
3. इंदिरा गांधी 20 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं।

इस अदालती फैसले ने ही इंदिरा गांधी की कलई उतार दी। उनका लोकतांत्रिक व्यक्तित्व कसौटी पर आ गया। सारे देश ने देखा कि वह महिला लोकतांत्रिक होने का दिखावा भर करती है। इस अदालती फैसले से कांग्रेस में इंदिरा गांधी के पिछलग्गुओं ने आसमान सिर पर उठा लिया। वे शोर मचाने लगे– अदालत का फैसला जो भी हो इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री रहेंगी।

इंदिरा गांधी स्वयं भी घबड़ा गयीं। सत्ता हाथ से जाती नजर आयी। सत्य तो यह भी है कि उस समय कांग्रेस एक राजनैतिक दल के तौर पर कार्य नहीं कर रहा था। वह चाटुकारों की जमात में बदल गया था। कांग्रेस में ही उभरी आवाज को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक विशाल रैली करने की योजना बनायी और उस रैली में भीड़ जुटाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक को दबाव डालकर झोंक दिया गया। दिल्ली में चलने वाली सभी सरकारी बसों को रैली के लिए हटा लिया गया। आम आदमी को उस दिन कोई बस आने–जाने को नहीं मिली थी।

फिर भी सुप्रीम कोर्ट अप्रभावित रहा और 24 जून, 1975 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के फैसले के बाद इंदिरा गांधी के सामने वास्तव में यह नैतिक सवाल खड़ा हो गया कि वे इस्तीफा दें। उनके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी और यह साफ हो गया कि इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री नहीं रह सकती।

एक तानाशाह महिला की महत्वाकांक्षा ने सारे देश को हथकड़ियों में जकड़ दिया। कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी।

उस समय इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद हाथ से निकलते देख आपातकाल लागू करने का फैसला अचानक कर डाला। उन्होंने इस बारे में अपने मंत्रिमंडल, पूरी सरकार और सरकारी तंत्र को अंधेरे में रखा और चंद लोगों की सलाह पर ही अपने निजी फैसले को कानूनी जामा पहनाने के लिए दबाव डाल कर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करा दी।

लोकतंत्र के चारों स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व मीडिया पर शिकंजा कस दिया गया। एक स्वतंत्र देश तानाशाही के हवाले कर दिया गया। जिन लोगों से इस बारे में विरोध की आंशका थी, उनकी रातोंरात अंधाधुंध गिरफ्तारियां की गयीं। लाखों निर्दोष लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। भारत के संविधान का मखौल बनाया गया। विरोध पक्ष कालकोठरी में बंद कर दिया गया। सत्ता पक्ष मूकदर्शक बन कर बैठा रहा। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिये गये। कठोर कानून बनाकर लोगों को तानाशाही के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया। अराजकता और जंगलीपन चरमसीमा तक पहुंच गया। आपातकाल ने तबाही मचा दी। लोगों की समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। आपातकाल की घोषणा की पूर्व रात को ही प्रमुख लोग गिरफ्तार कर लिये गये। बाकी जो बचे वे छिप गये। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

> ***लोकतंत्र के चारों स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व मीडिया पर शिकंजा कस दिया गया। एक स्वतंत्र देश तानाशाही के हवाले कर दिया गया। जिन लोगों से इस बारे में विरोध की आंशका थी, उनकी रातोंरात अंधाधुंध गिरफ्तारियां की गयीं। लाखों निर्दोष लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। भारत के संविधान का मखौल बनाया गया।***

इस बात की चर्चा यहां करना इसलिए आवश्यक है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को और सभी राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में व्यक्ति प्रमुख नहीं, दल प्रमुख नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रमुख होता है। एक व्यक्ति विशेष के महत्वाकांक्षा को पोषित करने के लिए राष्ट्र हित को, लोकहित को दांव पर नहीं लगाया जा सकता।

एक तरफ दमन और दूसरी तरफ इस तानाशाही से छुटकारा दिलाने के लिए विपक्ष द्वारा संघर्ष का शंखनाद हुआ। जेल से बाहर बचे कार्यकर्ताओं ने सारे देश में जगह–जगह आंदोलन, सत्याग्रह करने आरम्भ किये। तानाशाही शासन के विरूद्ध और आपातकाल की भयावह त्रासदी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जन–जागरण अभियान शुरू किया और इस भीषण संघर्ष के बीच आशा की किरण दिखलाई देने लगी। स्थिति तो इतनी विकट थी कि शहरों में लोग आपस में बात करने से भी कतराते थे और गांव में लोग जबरन की जा रही नसबंदी से दूर भागते थे। मानवीय मूल्यों के हनन की जो आंधी आयी, उसने इस देश की जनता को आपातकाल के विरोध के लिए एक सूत्र में बांध दिया। उन अत्याचारों ने आम जन के मन–मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। आपातकाल लगने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक साख को गहरा धक्का पहुंचा और विश्व स्तर पर भारत के प्रति लोगों का संदेह बढ़ गया। फिर संघर्ष के मध्य भविष्य का उजियारा दिखाई पड़ा। अंततः 19 महीने के बाद जनमत के आगे झुक कर तानाशाह ने आपातकाल हटाने और लोकसभा के चुनाव कराने की घोषणा की। सन् 1977 के चुनाव में विपक्ष के सभी दल एकजुट हो गये और जनता पार्टी बनी। जो जनता पार्टी से अलग रहे, उन दलों के भी बंदी बनाये गये नेता एक मंच पर एकत्र हुए। परिणामतः चुनाव में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। जनता ने सबक सिखाया श्रीमती गांधी खुद भी चुनाव हार गयी, उनका बेटा भी हारा।

आपातकाल का दौर बीत गया। पर जब जब भी देश में कांग्रेसनीत सरकार बनती है उसकी तपिस महसूस होने लगती है। वर्तमान में भी केन्द्र में कांग्रेसनीत यूपीए की सरकार है। इस दौर में भी जिस तरह के वह फैसले ले रही है और संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक हथियार के रूप में बेजा इस्तेमाल कर रही है उससे आपातकाल की आहट सुनाई देती है। ■

अफजल गुरु मामले में श्वेत पत्र की मांग

भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने भी अफजल गुरू मामले में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बार–बार बयान बदलने की आलोचना की है। प्रोफेसर मल्होत्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय के 16 बार रिमांइडर भेजने के बाद भी दीक्षित पांच साल तक फाइल दबाए बैठी रही। भाजपा के दबाव में जब यह फाइल निकाली गई तो कहा कि दो मुख्य सचिवों की इस संबंध में अलग–अलग राय थी इसलिए फाइल निकालने में देरी हुई। उन्होंने कहा अब जब बात खुल रही है तब दीक्षित ने स्वीकार किया कि तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील का दबाव था कि यह फाइल दबा कर रखी जाए। फांसी की सजा पाए आतंकवादी की फाइल दबाए रखना एक भयंकर अपराध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान कि अफजल की फांसी के संबंध में कानून अपना काम करेगा, बेहद आपत्तिजनक है। कानून तो अपना काम कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल को फांसी की सजा सुना दी है। अब तो सरकार को अपना काम करना है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को अफजल गुरू की दया याचिका तुरंत खारिज कर उसे फांसी दे देनी चाहिए।

अफजल मामले में माफी मांगे पीएम : गडकरी

अफजल गुरु मामले में भाजपा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी की कड़ी निंदा करते हुए उनसे जनता से माफी मांगने को कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने संसद पर हमले के दोषी आतंकवादी अफ़जल गुरु को फ़ांसी देने में देरी के मामले में लोगों को गुमराह करने और धोखा दिये जाने का आरोप लगाया है. श्री गडकरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कहा है कि वे दोनों देश की जनता से माफ़ी मांगे।

श्री गडकरी ने हैदराबाद में यह मांग करते हुये चेतावनी दी कि अगर डॉ सिंह और श्रीमती गांधी ने एक हफ्ते के भीतर अफ़जल गुरु के मामले में देशवासियों से माफ़ी नहीं मांगी, तो भाजपा देश भर में इस मामले को लेकर आंदोलन शुरू करेगी।

वही अफजल गुरू की दया याचिका संबंधी फाइल को चार साल तक रोके रखने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्र विरोधी मामला है, इसलिए सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इससे यह साफ हो जाएगा कि फाइल रोकने का दबाव बनाने के पीछे कहीं कोई विदेशी ताकत तो काम नहीं कर रही थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री के बार–बार बयान बदलने की आलोचना की है।

दिल्ली सचिवालय में 7 जून को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक चैनल को दिए साक्षात्कार में दबी जुबान से कहा कि पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटील का दबाव था। गुप्ता ने कहा कि आखिर यह दबाव किस तरह का था, इसका क्या भाव था या फिर इस दबाव बनाने के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है इसका खुलासा देश की जनता के सामने होना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस मामले की छानबीन कराने के साथ–साथ इस पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह के दबाव के पीछे कोई विदेशी ताकत तो नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संसद पर हमला मामले में दोषी करार दिए गए अफजल गुरू को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है लेकिन पिछले चार साल में अफजल की फांसी से संबंधित फाइल केन्द्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच लटक रही है। गृह मंत्रालय के 16 बार दिल्ली सरकार को रिमाइंडर भेजने के बाद फाइल मुख्यमंत्री के यहां से दिल्ली के उपराज्यपाल और फिर अब गृह मंत्रालय को लौटाई गई है। गुप्ता ने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली से आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है।